आवास भारती

वर्ष 21 | अंक 79 | अप्रैल-जून, 2021

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 11 जून, 2021 को भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में स्थित प्रधान कार्यालय में कोविड वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन

बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन कैम्प के दौरान

बैंक द्वारा दिनांक 30 जून, 2021 को बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 100वीं बैठक एवं बैंक के समस्त अधिकारियों के लिए प्रथम हिंदी वेबिनार का आयोजन

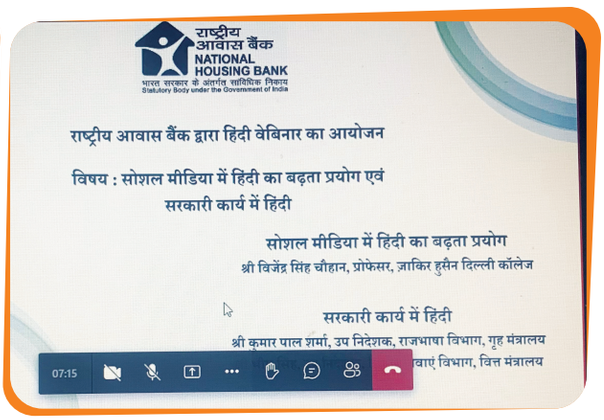

बैंक द्वारा अप्रैल – जून, 2021 तिमाही में दिनांक 30 जून, 2021 को बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 100वीं बैठक एवं एक हिंदी वेबिनार का भी आयोजन किया गया है जिसका विषय सोशल मीडिया में हिंदी का बढ़ता प्रयोग एवं हिंदी में सरकारी कार्य था। इस बैठक एवं वेबिनार में ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर श्री विजेंद्र सिंह चौहान, श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय एवं श्री भीम सिंह, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने भी भाग लिया।

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	4
2.	"कंठस्थ" में अनुवाद करना बहुत आसान ...	6
3.	स्विस चैलेंज, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ...	13
4.	भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य	16
5.	कोविड के दौर में जिंदगी में बदलाव	18
6.	भारत के संविधान की छठी अनुसूची ...	20
7.	कोविड के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट ...	22
8.	लक्ष्य	24
9.	वित्तीय संस्थाओं में आंकड़े विश्लेषण की उपयोगिता	26
10.	भारत एवं ओलंपिक्स	27
11.	विज्ञापन या मीडिया रिपोर्ट पर न ख़रीदें मकान	29
12.	समय से पहले संकट पर नियंत्रण ...	31
13.	प्राकृतिक आपदा	33
14.	किफायती किराया आवास परिसर	36
15.	फैसला	37
16.	भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन उपायों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति पर की गई घोषणाएं	40
17.	काव्य सुधा	45

कुल तकनीकी लेख	– 08
कुल सामान्य लेख	– 07
कुल योग	– 15

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 21, अंक 79, अप्रैल-जून, 2021

प्रधान संरक्षक
श्री शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री राहुल भावे
कार्यपालक निदेशक

प्रधान संपादक
वै. राजन
महाप्रबंधक

संपादक
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
अमित सिन्हा, उप महाप्रबंधक
प्रशांत कुमार राय, सहायक महाप्रबंधक
सुकृति वाधवा, प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, प्रबंधक
रौनक अग्रवाल, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर–5 ए, 3–5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

संपादक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

सभी प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष आवास भारती का अप्रैल–जून, 2021 का अंक प्रस्तुत करते हुए असीम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कोरोना काल में अंक संपादन मुद्रण में कभी–कभार कुछ विलंब हुआ है जिसके लिये हमारी यही कोशिश रही कि यह देरी कम से कम हो, जिससे हम अपने पाठकों के समक्ष नियमित रूप से अंक प्रस्तुत कर पायें।

राष्ट्रीय आवास बैंक के एक ओर वित्तीय वर्ष का समापन जून, 2021 को हुआ एवं बैंक ने अपने हर कार्य–क्षेत्र में इस वर्ष भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। बैंक का निवल लाभ 663 करोड़ पर पहुंच गया एवं सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां घटकर 2.91% पर रही एवं निवल अनुप्रयोज्य आस्तियां शून्य हैं। इसके अतिरिक्त, आस्तियों पर अभिलाभ पूर्व वर्ष के 0.25% से बढ़कर 0.75% हो गया। बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पुनर्वित्त संवितरण में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इसे 34,230 करोड़ रुपये पर पहुंचाया जबकि पिछले वर्ष यह 31,259 करोड़ रुपये था। इस राशि का संवितरण प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को किया गया जिसके चलते कोरोना काल में देश में हजारों आवासीय इकाईयों का अधिग्रहण/निर्माण एवं श्रेणी उन्नयन संभव हो सका। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक ने नोडल एजेंसी के रूप में प्रभावी भूमिका निभाते हुए करीब 7000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का संवितरण किया है जिसके चलते सब्सिडी सहायता 31 लाख से अधिक आवास ऋण उधारकर्ताओं को मिली, यह अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि है। इसके साथ–साथ बैंक ने पर्यवेक्षणात्मक गतिविधियों को और प्रभावी रूप से सशक्त किया जिसके चलते आवास वित्त कंपनियों को सुगठित आधार पर विकसित करने में सहायता मिली। बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष में अपने संवर्धनात्मक भूमिका को भी प्रभावी रूप से निभाया। रेजीडेक्स में प्रकाशन के चलते विभिन्न आवास श्रेणी से विभिन्न भागीदारों को अचल परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में सहायता मिली एवं इसके साथ–साथ एक विशेष अनुसंधान अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलुरू के साथ मिलकर "किफायती आवास हेतु अल्प मुद्रांक शुल्क व पंजीकरण प्रभार हेतु राजस्व तटस्थ दृष्टिकोण" पर कराया गया एवं इसकी रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मेरा यह मानना है कि अगर इस रिपोर्ट में दी गयी संस्तुतियों पर विभिन्न राज्य सरकारें प्रभावी कदम उठाती हैं तो देश में विशेष रूप से अल्प आय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के घरों के निर्माण को बहुत मदद मिलेगी एवं कीमतें नीचे आ सकेंगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2020–21 एक उपलब्धियों भरा वर्ष रहा है तथा हम सब अधिकारियों का यही प्रयास रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक प्रगति के नये आयामों को इसी प्रकार हर वर्ष स्पर्श करे। पत्रिका के इस अंक में विभिन्न विषयों जैसे कंठस्थ (हिंदी अनुवाद टूल), आवास, बैंकिंग, कोविड–19 आदि से संबंधित समसामायिक विषयों पर बेहतरीन लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है एवं मुझे उम्मीद है कि सभी पाठकगण इन्हें उपयोगी पायेंगे। बैंक द्वारा 16 अगस्त से 14 सितम्बर तक हिंदी मास मनाने की योजना है एवं इस अवधि में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम, संगोष्ठियां, बैठकें आयोजित की जायेंगी जिससे अधिकारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार हो सके।

मैं सभी पाठकों को यह बताना चाहुंगा कि बैंक द्वारा 16 अप्रैल को "12 प्र" पर एक हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें स्वयं सचिव, डॉ सुमीत जैरथ पधारे थे जिन्होंने काफी उपयोगी जानकारी सभी अधिकारियों को दी थी। इसके अतिरिक्त, 25 जून, 2021 को एक हिंदी वेबिनार का आयोजन 'सोशल मीडिया में हिंदी का बढ़ता प्रयोग एवं सरकारी कार्य में हिंदी' विषय पर किया गया था जिसमें बैंक के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय/प्रतिनिधि कार्यालयों के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था। मुझे उम्मीद है कि इस पत्रिका के माध्यम से एवं समय–समय पर संचालित अन्य राजभाषा गतिविधियों के माध्यम से बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रति अधिकारियों का रुझान और बढ़ेगा और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को भी एक नया आयाम मिलेगा। इस अंक में सभी पाठकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।

(रंजन कुमार बरुन)
उप महाप्रबंधक एवं संपादक

आप की पाती

महोदय,

हमें आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित राजभाषा पत्रिका प्राप्त हुई है। पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं लेख/कहानियां/कविताएं काफी रोचक व ज्ञानवर्धक है। पत्रिका के शानदार प्रकाशन के लिए संपादन मंडल का अभिनंदन। हम आशा करते है कि आपकी यह राजभाषा पत्रिका हिंदी के प्रचार प्रसार में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

(राजभाषा अधिकारी)
एलआईसी

महोदय,

आपके दिनांक 06 जुलाई, 2021 के पत्र संख्या राआबै/राजभाषा/आवास भारती/78/03519/2021 के साथ आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" के जनवरी–मार्च, 2021 के 78 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई।

पत्रिका में प्रकाशित लेख "औपनिवेशिक भारत में नगर नियोजन और भवन निर्माण", "सपना" व "प्रसिद्ध तेंदुआ (स्कारफेस)" तथा "बागबान" कविता विशेष रूप से पठनीय हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिका में आवास, बैंकिग आदि पर प्रकाशित तकनीकी लेख उत्कृष्ट एवं सारगर्भित हैं।

पत्रिका के संपादक मंडल सहित सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। भविष्य में भी पत्रिका उपयोगी सामग्री के साथ प्रकाशित होती रहेगी, ऐसी मेरी कामना है।

(नम्रता बजाज)
प्रबंधक (राजभाषा)
केन्द्रीय भण्डारण निगम

महोदय,

आपके बैंक की गृह पत्रिका "आवस भारती" का जनवरी–मार्च 2021 का 78वां अंक प्राप्त हुआ। तदर्थ धन्यवाद। इस त्रैमासिक अंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सफल प्रबंधन, ब्लॉकचेन एवं शहरीकरण पर आधारित लेख ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका में समसामायिक लेख लुप्त होते सर्कस, जंगल जीवन एवं बुढापे पर आधारित लेख, बजट एवं रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा संबंधी लेख सराहनीय एवं पठनीय हैं। काव्य सुधा के अंतर्गत प्रस्तुत कविता ने अंतर्मन को छू लिया। इस तरह सम्पादक मंडल ने पत्रिका के प्रति पूर्णन्यास किया है, पत्रिका में अन्य बैंक के स्टाफ, सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लेख साथ ही स्टाफ सदस्यों के परिवार के सदस्यों के लेखों को स्थान देकर संपादक मंडल ने सहृदयता का परिचय दिया। उत्कृष्ट सारगर्भित प्रकशन के लिये संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

(राजीव वार्ष्णेय)
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

महोदय,

आपके द्वारा भेजा गया पत्र संख्याः राआबे/.राजभा0आभा/78/03438/2021 दिनांक 06 जुलाई 2021 प्राप्त हुआ। मैं राष्ट्रीय आवास बैंक को आपकी एक ओर नवीन एवम उत्तम गृह पत्रिका – आवास भारती के जनवरी– मार्च 2021 का 78वां अंक प्रकाशित करने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस अंक में आपके द्वारा मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सफल प्रबंधन, शहरीकरण की समस्याएं एवं ब्लॉकचेन आदि विषयों पर लेख अत्यंत सराहनीय है। इसके अलावा समसामयिक विषयो तथा विलिप्त हो रहे सर्कस, करतब, जंगल जीवन और वृद्ध व्यक्ति विकास आदि विषयों पर जानकारी सराहनीय है। अतः मैं राष्ट्रीय आवास बैंक को इस जानकारी को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए बधाई और मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में भी आप हमें नित नये विषयों की नवीन जानकारी देते रहेंगे।

(डॉ शैलेश कुमार अग्रवाल)
कार्यकारी निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

रा.आ.बैंक द्वारा विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ 2021) का आरंभ

कोविड–19 के उपरांत, आवास वित्त क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020–21 की दूसरी तिमाही से संस्वीकृतियां एवं संवितरण में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। विगत वर्ष मई–अगस्त, 2020 के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) एवं अतिरिक्त विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एएसआरएफ) के अंतर्गत 14,000 करोड़ रूपये का पुनर्वित्त समर्थन प्रदान किया था। एक वर्ष हेतु यह अल्पकालिक चलनिधि समर्थन माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि. बैंक) द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को रेपो दर पर उपलब्ध कराई गई विशेष चलनिधि सुविधा का हिस्सा थी।

01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई एसआरएफ एवं एएसआरएफ सहित अपनी विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के तहत प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलाई) जिसमें आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) शामिल थे को पुनर्वित्त के रूप में 42,823.93 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लक्ष्यानुसार, आरंभिक वृद्धि दर को और बढ़ाने एवं विकास दर को बरकरार रखने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष चलनिधि सुविधा–2 (एसएलएफ–2) के तहत नये समर्थन के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक को एक साल के लिए आवासीय क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रूपये दिये है।

तदनुसार, रा.आ.बैंक ने विशेष पुनर्वित्त सुविधा – 2021 (एसआरएफ–2021) का आरंभ किया है। एसआरएफ 2021 का उद्देश्य, लचीले नियमों एवं शर्तों पर आ.वि.कं. तथा अन्य पात्र पीएलआई को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत आबंटित कुल राशि 10,000 करोड़ रुपये होगी।

इस सुविधा से यह अपेक्षित है कि इसके माध्यम से प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताएं पूरी होंगी तथा इसके माध्यम से उन्हें, उनके द्वारा वैयक्तिकों को दिये जाने वाले ऋण हेतु भी सहायता प्राप्त होगी जिससे कि आवास वित्त क्षेत्र में निरंतर वृद्धि बरकरार रखी जा सकेगी।

अतिरिक्त जानकारी राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर उपलब्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति

वैक्सीनेशन कैम्प

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के तीव्र प्रभाव को देखते हुए, अपने कर्मियों को कोविड–19 हाईजीन किट, चिकित्सीय एवं अन्य सहायता प्रदान करके उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के कई प्रयास किए हैं। बैंक ने अपने कर्मियों एवं उनके परिवार के स्दस्यों को कोविड से बचाव हेतु वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी ली है एवं इसके लिये निजी अस्पताल चैन के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने 11 जून, 2021 को भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली में स्थित अपने प्रधान कार्यालय में कोविड वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन किया। वैक्सीनेशन कैम्प के दौरान बैंक के कर्मियों एवं सर्विस स्टाफ को उनके परिवार के सदस्यों के साथ वैक्सीन लगायी गयी। बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत वैक्सीनेशन कैम्प में भारत पर्यावास केंद्र में स्थित अन्य संस्थानों के कर्मियों को भी वैक्सीन लगवाने की सुविधा प्रदान की।

21 मई, 2021 को राष्ट्रीय आवास बैंक में "आतंकवाद विरोधी दिवस" 2021 का आयोजन

दिनांक 21 मई, 2021 को राष्ट्रीय आवास बैंक में कोविड 19 प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए वर्चुअल बैठक के माध्यम से आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। अखिल भारत में तैनात बैंक के सभी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

श्री एस.के.होता, प्रबंध निदेशक, रा.आ.बैंक ने अधिकारियों को "आतंकवाद विरोधी" शपथ दिलाई। बैंक के सभी अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों ने मानव जीवन एवं मूल्यों के लिए खतरा पैदा करने वाली विघटनकारी शक्तियों को दूर करने तथा सभी मनुष्यों के बीच शांति, सद्भाव एवं समझ का वातावरण बनाने की दिशा में सर्वसम्मति से काम करने का संकल्प लिया।

इसके अतिरिक्त, शपथ के बाद, श्री होता ने भारत की अहिंसा और सहिष्णुता की लंबी परंपरा में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया एवं आतंकवाद के सभी रूपों का पूरी ताकत से विरोध करने हेतु अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की।

"कंठस्थ" में अनुवाद करना बहुत आसान – करके तो देखिए

– राजेश श्रीवास्तव, उप–निदेशक (रा.भा. एवं तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

गूगल जैसे बहुत सारे प्लेटफार्म अनेक भाषाओं में आपको मशीनी अनुवाद उपलब्ध कराते हैं। मशीनी अनुवाद अच्छा या समय के साथ स्मार्ट तो हो सकता है, आपको एक ही क्लिक पर उपलब्ध हो सकता है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि वह एकदम शुद्ध और सटीक अनुवाद होगा। ऐसा अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल करते हुए हासिल किया जाता है लेकिन विवशता यह है कि मशीन मानव मस्तिष्क नहीं हो सकती, वह उसके अनुसार भावों और संस्कारों को नहीं पकड़ सकती, वह तो शब्दों के अर्थ बेतरतीब रूप से (randomly) पकड़ती है जिससे अनेक बार अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना रहती है। अनुवाद जैसे जैसे तकनीकी, जटिल शब्दावली या विशिष्ट पृष्ठभूमि वाला होता जाता है, मशीनी अनुवाद में उतनी ही ज्यादा समस्याएं आने लग जाती हैं। कुछ वर्ष पहले राजभाषा विभाग ने भी इसी तर्ज पर "मंत्रा" नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया था जो मशीनी अनुवाद प्रदान करता था लेकिन शायद ऐसे ही कुछ कारणों से और गूगल जैसे प्लेटफार्म पहले से उपलब्ध होने के कारण से वह ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकता।

दूसरी तरफ दुनिया में SDL Trados या Wordfast जैसे स्मृति पर आधारित लोकप्रिय अनुवाद सॉफ्टवेयर हैं जो मशीनी अनुवाद के अतिरिक्त सुविधा तो देते हैं लेकिन वे मूल रूप से मानव बुद्धिमत्ता यानि Human Intelligence Intelligence पर आधारित हैं। ये अपनी ओर से तो आपको कोई अनुवाद उपलब्ध नहीं कराते लेकिन स्रोत और लक्ष्य भाषा के आपके द्वारा किए गए अनुवादों को दोनों भाषाओं में अपनी स्मृति में रख लेते हैं और जब बिल्कुल वैसा ही या उनसे मिलता जुलता कोई अनुवाद भविष्य में फिर से आता है तो वे आपको आपका किया हुआ अनुवाद ही अपनी स्मृति से निकालकर दिखा देते हैं। इससे आपको बेहद सुविधा हो जाती है। आपको अपने पिछले अनुवाद को ढूँढना नहीं पड़ता, दोबारा से टाइप या अनुवाद नहीं करना पड़ता, यहाँ तक कि दोबारा से उसकी जाँच भी नहीं करनी पड़ती। आपकी शब्दावली भी वैसी ही रहती है। एक ही वाक्य के लिए दस तरह के अनुवाद नहीं किए जाते।

"कंठस्थ" भी ऐसी ही ट्रांसलेशन मेमोरी (TM) अर्थात स्मृति पर आधारित अनुवाद करने में सहायता देने वाला सॉफ्टवेयर/टूल है। इसे भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा सी–डेक, पुणे के सहयोग से तैयार कराया गया है। संस्कृत में "कंठस्थ" का अर्थ ही होता है–याद करना। इन पंक्तियों के लेखक को इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने में मदद करने वाले राजभाषा विभाग की तकनीकी टीम का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरा दायित्व मुख्य रूप से इस टूल की अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद सॉफ्टवेयरों से तुलना करना और उनमें उपलब्ध अनुवाद संबंधी विशेषताओं की जानकारी देना था ताकि उन जैसी या उनसे बेहतर विशेषताओं को हमारी सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप इस सॉफ्टवेयर में भी शामिल किया जा सके। साथ ही, एकदम नए फीचर शामिल करके इसमें हमारी ज़रूरतों के अनुरूप विकल्प शामिल किए जा सकें। इन्हीं प्रयासों के चलते हमारे वर्तमान सचिव, राजभाषा विभाग श्री सुमीत जैरथ जी ने देशभर में "कंठस्थ" का प्रशिक्षण देने के लिए इन पंक्तियों के लेखक को "कंठस्थ" प्रशिक्षण टीम का टीम लीडर मनोनीत किया है। हमारे सचिव महोदय के अथक प्रयासों, उनके मार्गदर्शन, सक्रिय सहयोग और भागीदारी तथा हमारे परिश्रमों का ही परिणाम है कि हमारे विभाग में आज यह सॉफ्टवेयर माननीय प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" एवं "Vocal for Local" का बेहतरीन उदाहरण बन गया है।

तकनीकी टीम का गठन वर्ष 2017 में हुआ था और उसकी तमाम बैठकों, सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों, फीडबैकों और प्रतिक्रियाओं के पश्चात अन्ततः इसके बीटा संस्करण का लोकार्पण 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वर्ष 2018 में मॉरीशस में किया गया। यह किए गए सारे अनुवाद को द्विभाषिक रूप (अंग्रेजी–हिंदी या हिंदी–अंग्रेजी) में अपनी मेमोरी में रख लेता है और जब उससे मिलता–जुलता अनुवाद फिर से सामने आता है तो यह आपके या "कंठस्थ" के किसी भी प्रयोक्ता द्वारा किए गए पुराने अनुवाद को निकालकर आपके सामने रख देता है। यह आपको यहाँ तक बता देता है कि उसके पास कितने ऐसे वाक्य हैं जो पिछली बार किए गए अनुवाद से शत–प्रतिशत मेल खाते हैं और कितने ऐसे वाक्य हैं जो शत–प्रतिशत तो नहीं लेकिन 75 से 99 प्रतिशत तक मेल खाते हैं। शत–प्रतिशत से कम पर मिलने वाले अनुवादों को आंशिक अनुवाद (Fuzzy match) कहा जाता है। इनमें थोड़ा–सा संशोधन करने पर आपको शत–प्रतिशत सही अनुवाद मिल जाता है। जब यह अनुवाद सर्वर पर डाल दिया जाएगा तो सर्वर या ग्लोबल मेमोरी के माध्यम से इसके सारे प्रयोक्ता किसी भी अन्य प्रयोक्ता द्वारा किए गए अनुवाद का भी लाभ उठा सकते हैं। इससे न केवल अनुवाद, टाइपिंग और वैटिंग (अधिकारी द्वारा की

जाने वाली अनुवाद की समीक्षा) में खराब होने वाला समय बचेगा बल्कि एक जैसे वाक्यों के लिए एक समान शब्दावली का ही बारंबार इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इस सॉफ्टवेयर पर काम करना बहुत सरल है। कोई भी प्रयोक्ता जिसे कंप्यूटर पर किसी भी रूप में टंकण करना आता है, इस सॉफ्टवेयर पर बड़ी आसानी से काम कर सकता है। यह यूनिकोड के फोंट्स यानि otf (Open Type Fonts) पर काम करता है और इसमें MS Word, Excel, PPT जैसी 36 प्रकार की फाइलें खोलकर उनका अनुवाद किया जा सकता है।

यह सॉफ्टवेयर दोहराए जाने वाले अनुवादों के लिए बहुत मददगार है। इस सॉफ्टवेयर को ऐसे अनुवाद ही कंठस्थ कराए जाने चाहिए जो बार–बार पलट कर आते हैं, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ आते हैं या जो अनुवाद किसी कार्यालय से संबंधित सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए उपयोगी होते हैं। इससे आपका सारा अनुवाद इस सॉफ्टवेयर के सर्वर पर आ जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद सॉफ्टवेयरों की कीमतें ₹30–35 हजार से लेकर ₹1,00,000/– या अधिक होती हैं और वह पैसा भी विदेशी कंपनियों को जाता है, वहीं कंठस्थ् सभी के लिए एकदम निःशुल्क है। यूं तो इस पर काम करने के तरीकों को लेकर 118 पृष्ठ का मैनुअल राजभाषा विभाग की साइट पर मौजूद है लेकिन हम इस पर काम करने के अत्यन्त महत्वपूर्ण टिप्स बेहद संक्षिप्त रूप में आपको प्रदान कर रहे हैं ताकि कोई भी नया प्रयोक्ता इसे पढ़कर इसका आसानी से प्रयोग कर सके। आइए सीखते हैं कि "कंठस्थ" के ऑनलाइन संस्करण पर अनुवाद कैसे किया जाए और ग्लोबल मेमोरी का लाभ कैसे उठाया जाए।

(क) सबसे पहले पंजीकरण कराएं

1. सबसे पहले राजभाषा विभाग के होमपेज (https://rajbhasha.gov.in/) पर हिंदी ई–टूल्स में जाएं और वहाँ "कंठस्थ" पर क्लिक करें या फिर सीधे http://kanthasth&rajbhasha.gov.in/logout पर जाएं। आप गूगल पर सर्च करके भी "कंठस्थ" तक जा सकते हैं।

2. खुलने वाले पृष्ठ में सबसे ऊपर दायीं ओर आपको About लिखा मिलेगा जिसे क्लिक करने पर आप "कंठस्थ" के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों यानि FAQ और Manual आदि के बारे में हैं। यहाँ आपको "कंठस्थ" के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यहाँ जाकर आपको सबसे पहले अपना पंजीकरण (Register) कराना है ताकि आप इस टूल के उपयोग के लिए अधिकृत उपयोगकर्ता बन सकें।

3. पंजीकरण पृष्ठ पर कोई अपना Username और Unique Password चुन लें। पासवर्ड 7 से 15 वर्णों का होना चाहिए। इसमें कोई एक संख्या और कोई एक Special character अवश्य डालें ताकि मज़बूत पासवर्ड बन सके।

4. अपने मंत्रालय या विभाग का नाम डाल दें। यदि आप अधीनस्थ कार्यालय हैं तो मंत्रालय/विभाग के ठीक नीचे उसके अंतर्गत आने वाले अपने कार्यालय का नाम चुन लें।

5. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता डाल दें। ईमेल पता लिखते ही इसके ठीक नीचे आपको अमतपलि लिखा दिखाई देगा। जब आप अमतपलि पर क्लिक करेंगे तो आपको एक खाली बॉक्स नज़र आएगा और एक संदेश आपकी अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा– OTP Generated successfully, Check mail and enter OTP in the below textbox.

6. अब अपनी उस ईमेल पर जाएं जो आपने यहाँ दर्ज की थी, वहाँ आपको कंठस्थ की ओर से भेजा गया चार अंकों का एक OTP मिलेगा जिसे आपको यहाँ खाली बॉक्स में लिखना है ताकि यह सत्यापित हो सके कि यह ईमेल आपकी ही है।

7. कभी–कभी आपको लग सकता है कि Verify वाला बटन काम नहीं कर रहा है। इससे न तो कोई संदेश मिल रहा है और न ही कोई OTP प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सिस्टम में कई बार Caches इकट्ठे हो जाते हैं जो आपकी कमांड को यथास्थान तक जाने नहीं देते। ऐसी स्थिति में आपको इन Caches को अपने सिस्टम से क्लियर करना होगा। ऐसा या तो किसी एंटी वायरस से हो सकता है या फिर आप यह काम कर सकते हैं–

   - पंजीकरण वाले पृष्ठ पर ही पहले F12 का बटन दबाएं। आपको स्क्रीन की दाहिनीं तरफ कुछ element इत्यादि दिखाई देने लगेंगे।
   - अब आप ब्राउज़र के एड्रैस बार पर जाइए जिसके एकदम बायीं ओर Refresh करने का अंग्रेजी के C के आकार वाला निशान बना हुआ है। इस पर राइट क्लिक करें।
   - राइट क्लिक करते ही आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे जिसमें सबसे आखिरी विकल्प होगा–Empty caches and hard reload- ऐसा करते ही आपके सिस्टम से caches समाप्त हो जाएंगे और अब आप अपनी ईमेल को verify कर पाएंगे।

8. एक सुरक्षा प्रश्न भी दिया गया है जिसे आपको दिए गए विकल्पों में से भरना है। पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में यह सुरक्षा प्रश्न पासवर्ड हासिल करने या नया पासवर्ड बनाने में आपकी मदद करेगा।

9. अंत में अपना फोटो अपलोड कर दें, हालांकि फोटो अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद एक Captcha दिखेगा जिसको लिखकर नीचे लिखे–पंजीकृत करें (Register) पर क्लिक करें। अब आपका पंजीकरण हो गया है।

10. अब आप अपने आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, बायीं ओर शीर्ष पर अपनी फोटो पर क्लिक करते ही सारे विवरण आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बदलने का भी विकल्प दिया गया है।

(ख) कंठस्थ में काम कैसे करें

1. सॉफ्टवेयर खुलते ही आपको Home Page दिखाई देता है। यहीं से आपको अनुवाद कार्य की शुरुआत करनी है। इसे Editor Page भी कहा जाता है।

2. ''कंठस्थ'' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप जिस भी बटन पर कर्सर रखेंगे, यह आपको अपने आप बताएगा कि यह बटन क्या काम करता है। किसी और सॉफ्टवेयर में यह विशेषता मिलना बहुत मुश्किल है।

3. अनुवाद कार्य शुरु करने के लिए सबसे पहले आपको एक Project बनाना है। प्रोजेक्ट कुछ इस तरह ही होता है जैसे कि आपके कंप्यूटर पर D या E ड्राइव। इसके लिए मुख्य स्क्रीन पर बायीं तरफ पहले Project पर और फिर ऊपर की तरफ + के निशान के ठीक बराबर में फिर Create a New Project को क्लिक करें। प्रोजेक्ट को कोई नाम दे दें (मान लीजिए कि आपने यह नाम DoL लिखा है)। जैसे ही आप नाम लिखेंगे, DoL नाम का प्रोजेक्ट आपको बायीं तरफ प्रोजेक्ट के नीचे दिखाई देने लगेगा।

4. अब इस Project (DoL) के भीतर आपको एक Folder create करना है। इसके लिए पहले बायीं तरफ DoL पर क्लिक करें और फिर ऊपर की तरफ Tool Bar में + के निशान के ठीक बराबर में आपको दो बटन दिखाई देंगे, यहाँ पहले बटन Create a New Folder को क्लिक करें। बॉक्स खुलने पर Folder Creation नाम से एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको फोल्डर का कोई नाम देना है। मान कर चलते हैं कि आपने फोल्डर को Translation नाम दिया है। यदि आप चाहें तो इसके नीचे इसका विवरण दे सकते हैं जो कि फोल्डर खोलने पर उसके सामने लिखा दिखाई देगा।

5. इसी बॉक्स में आपको बताना है कि आप किस प्रोजेक्ट के तहत इस फोल्डर को रख रहे हैं। आपने अभी–अभी DoL नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, वह यहाँ अपने आप दिखाई देगा। इसका अर्थ यह होगा कि आप इस नए Translation फोल्डर को DoL नाम के प्रोजेक्ट के भीतर रख रहे हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट का नाम अपने आप दिखाई देगा।

6. यदि आप इससे पहले तीन–चार प्रोजेक्ट बना चुके हैं तो वे सभी यहाँ दिखाई देंगे। आप इनमें से जिसे चाहें, उसे चुन सकते हैं। फिलहाल हम यह मानकर चलते हैं कि आपने DoL नाम से केवल एक ही प्रोजेक्ट बनाया है और उसके भीतर आपने Translation नाम से फोल्डर बना लिया है।

7. अब इसी Folder Creation बॉक्स में आपको प्रोजेक्ट के नाम के ठीक नीचे Translation Memory लिखा दिखाई देगा अर्थात आपको एक Translation Memory (TM) बनानी है। यहाँ TM का अर्थ यह है कि आप ''कंठस्थ'' में जो कुछ भी अनुवाद करेंगे, वह सब इस TM में Save हो जाएगा जिसे आप भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसके दो विकल्प दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट के नाम के ठीक नीचे दो आइकन बने हुए हैं। पहला है–Create TM और दूसरा है– Add Existing TM.

8. Create TM का अर्थ है कि आप अपनी ओर से एक नई TM बनाएं। इसके लिए आपको Create TM पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही एक बॉक्स खुलेगा जिसमें TM का नाम पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट और फोल्डर की तरह इस TM को भी आप अपनी पसंद का कोई एक नाम दे दें। माना इस TM को आपने अपना ही नाम Ramesh दे दिया है तो इस प्रकार अब आपके पास Ramesh TM है जो आपके सारे अनुवादों को अपनी मेमोरी में रखेगी।

9. इसके ठीक बराबर में दूसरा विकल्प Add Existing TM दिया गया है जिसका अर्थ है कि यदि आपने पहले से ही कोई एक या एक से ज्यादा TM बना रखी हैं तो आप यहाँ क्लिक करके अपनी मर्जी से किसी भी TM को जोड़ सकते हैं। शुरुआती तौर पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है।

10. यदि आपने TM बनाने की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है या इस झंझट से बचना चाहते हैं तो By default एक TM आपकी ''कंठस्थ'' आईडी के नाम के साथ अपने आप सिस्टम में बन जाएगी और आपका सारा अनुवाद वहीं जाता रहेगा।

11. TM वाली प्रक्रिया को करने या छोड़ने के बाद, अब इसी Folder Creation बॉक्स में आपको सबसे नीचे जाकर पहली बार वह फाइल ब्राउज़ करनी है जिसे आप अनुवाद करना चाहते हैं। ऐसा करने से पहले ज़रूरी है कि आप अनुवाद की जाने वाली स्रोत फाइल को डेस्कटॉप या किसी ड्राइव में या अपने पेनड्राइव में कोई फोल्डर बनाकर रख लें ताकि ब्राउज़ करने पर आप उसे आसानी से ढूंढ सकें।

12. अब जहाँ Choose File लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को ब्राउज़ करें और नीचे दायीं तरफ Create Folder पर क्लिक कर दें।

13. ऐसा करते ही आपके द्वारा बनाए गए DoL नाम के Project के नीचे Translation Folder में आपकी फाइल दिखाई देने लगेगी। इस फाइल पर डबल क्लिक करते ही यह फाइल खुल जाएगी जो कि अनुवाद कार्य के लिए तैयार है।

14. आप देखेंगे कि फाइल के नाम के ठीक ऊपर + के निशान के अलावा, 11 आइकन दिखाए गए हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं– Add files to the folder, Export folder, Add TM, Create TM, Download source file, Download translated file, Delete file, Share file, Split files, Merge files and Send file.

15. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुवाद के लिए पहली फाइल को तो आप फोल्डर बनाते समय ही Choose File पर क्लिक करके फाइल को ब्राउज़ करते हैं और अपलोड कर देते हैं लेकिन आगे और फाइलें अपलोड करने के लिए आपको बार–बार फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप Add files to the folder पर क्लिक करके कितनी ही फाइलें एक ही फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं।

16. अपलोड की गई फाइल Segments के रूप में खुलेगी, बायीं तरफ अंग्रेजी के वाक्य होंगे और दायीं तरफ अनुवाद के लिए दिए गए खाली Segments दिखेंगे। फाइल खुलने पर यह सॉफ्टवेयर आपके अंग्रेजी वाक्यों को फाइल में प्रयोग किए गए विशेष चिह्नों जैसे dot (.), प्रश्नवाचक चिन्ह (?), कोलन (:) तथा पूर्णविराम (।) आदि के आधार पर segments या वाक्यों में बाँट देगा। सॉफ्टवेयर में काम करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ''कंठस्थ'' में हम 10 या उससे अधिक शब्दों वाले एक वाक्य को एक TM मानते हैं।

17. प्रत्येक segment के सामने हिंदी अनुवाद करने के लिए खाली स्थान दिया गया है। इस स्थान में आप अनुवाद करते जाइए या पूर्व में किए गए अनुवाद को कॉपी–पेस्ट करते जाइए और उसके ठीक सामने दिए गए Commit के बटन को दबा दीजिए जिससे आपके द्वारा किया गया अनुवाद द्विभाषी रूप में सॉफ्टवेयर की मेमोरी में चला जाएगा।

18. आप देखेंगे कि Editor Page में जहाँ यह फाइल खुली है, उसके ठीक ऊपर + के निशान के अलावा, 21 आइकन दिखाए गए हैं जो फाइल को Save करने से लेकर उससे Exit करने तक के हैं और ये किसी MS Word file के Toolbar के निशानों की तरह ही हैं। अनुवाद करते समय आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी बटन के ऊपर आप अपना कर्सर रखेंगे, वहाँ उस बटन का नाम दिखाई देने लगेगा।

19. यदि किसी segment का कोई वाक्य बहुत लंबा है तो आप अपनी मर्जी से उसे Split भी कर सकते हैं। इसके लिए कर्सर को उस स्थान पर रखें जहाँ से आप उस वाक्य को तोड़ना चाहते हैं और टूलबार में 2रे स्थान पर मौजूद आइकन यानि Split file को क्लिक कर दें। वाक्य Split हो जाएगा। इसी प्रकार आप दो वाक्यों को जोड़ भी सकते हैं। इसके लिए यदि दो वाक्यों के बीच में कर्सर रख कर आप Merge का बटन क्लिक कर देंगे तो दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे।

20. आप एक जाँचकर्ता या पुनरीक्षक अधिकारी (वैटर) (Vetter) के रूप में फाइल को दो या तीन अनुवादकों में बाँटना चाहते हैं तो फाइल को भी Split कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले फाइल को सेलेक्ट करके ऊपर टूल बार में Split File के बटन पर क्लिक करना होगा।

21. इसमें सबसे ऊपर Mark लिखा हुआ है। अब आपको जहाँ से फाइल Split करनी है, वहाँ अपना कर्सर रखिए और Mark को क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करते ही एक लाल रंग की लाइन वाक्यों के बीच खिंच जाएगी।

22. जितनी जगह आप क्लिक करेंगे उतनी जगह से आपकी फाइल बँट जाएगी और सॉफ्टवेयर में इसे मूल फाइल के अलावा फाइल नं. 1, 2 या 3 के रूप में दिखाया जाएगा जिसे आप अपने अनुवादकों को ईमेल से Share कर सकते हैं। बाद में वे जब इन्हें अनुवाद करके आपको

भेजेंगे तो तीनों के प्राप्त हो जाने पर आप Merge फाइल के विकल्प के साथ इन्हें आपस में मिला सकते हैं।

23. जिस भाषा से अनुवाद किया जाना हो उसे Source भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे Target भाषा कहा जाता है। इस टूल में Source और Target–दोनों ही कॉलम editable हैं अर्थात आप दोनों में करेक्शन कर सकते हैं। Target को Source बनाने के लिए कॉपी–पेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

24. अनुवाद करते समय जैसे ही Fuzzy match (100 प्रतिशत से कम वाला अनुवाद) को सही करके आप Commit का बटन दबाएंगे, वैसे ही यह 100% match में बदल जाएगा। 100% match को अलग रंग से दर्शाया गया है।

25. Fuzzy match फिलहाल इल कमनिसज 75% पर रखा गया है लेकिन आप इस Setting Editor नामक आइकन में जाकर इससे ऊपर या नीचे भी कहीं सेट कर सकते हैं। तथापि, आप जितना कम पर सेट करेंगे, मेमोरी से मिलने वाले वाक्य में उतने ही ज्यादा बदलाव करने पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि यह 75 प्रतिशत पर या उससे ज्यादा पर ही सेट रहे।

26. फाइल खुलने पर आपको पहले पन्ने पर डिफॉल्ट रूप में केवल 10 प्रविष्टियाँ या वाक्य या segments ही दिखाई देंगी। बाकी अगले पन्नों पर चले जाएंगे। लेकिन Tool Bar में जहाँ 10 प्रविष्टियाँ लिखा है, वहाँ क्लिक करने पर आपको 10, 25, 50 और 100 की संख्या दिखाई देगी। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मर्जी से यह चुन सकते हैं कि पहले पन्ने पर आप कितने वाक्य देखना चाहते हैं। यदि आप 100 को चुन लेते हैं तो आपको पहले पन्ने पर 10 के स्थान पर अब 100 प्रविष्टियाँ दिखाई देने लगेंगी। यह इसकी अधिकतम सीमा है। सबसे नीचे आपको आपकी फाइल के कुल पृष्ठ दिखाई देंगे, यहाँ पर आप पृष्ठ संख्या टाइप करके सीधे किसी भी पन्ने पर जा सकते हैं।

27. Tool bar and Menu Bar – में कुछ शॉर्टकट keys हाल ही में जोड़ी गई हैं। अब आप Tab key को दबाकर Tool bar के एक–एक बटन पर बारी–बारी से आगे जा सकते हैं और Shift Tab key दबाने से एक बटन पीछे आ जाएंगे। इसके अलावा, इन कुँजियों का भी इस्तेमाल आप शॉर्टकट कुँजियों के रूप में कर सकते हैं–

Shift + t : Translate all (सभी का अनुवाद)

Shift + b : Bilingual Export (द्विभाषी निर्यात)

Shift + d : Download Translated file (अनुवादित फाइल का डाउनलोड)

Shift + q : Save and Exit (सेव एंड एक्ज़िट)

29. अनुदित फाइल को MS Word फाइल में अनुदित या द्विभाषी रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। आप Download में जाकर इन फाइलों को देख सकते हैं। यदि गूगल क्रोम की सेंटिंग में जाकर आप व्यवस्था कर देते हैं तो आप जहाँ चाहें वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।

30. द्विभाषी फाइल विशेष रूप से ऐसे अधिकारियों के लिए सहायक साबित होंगी जो सीधे कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते लेकिन द्विभाषी प्रिंट आउट में करेक्शन करके अपने अनुवादक को दे सकते हैं।

31. आइकन के साथ, आप अनुदित फाइल को ईमेल पर शेयर भी कर सकते हैं। 8वें स्थान पर बने आइकन पर क्लिक करके आप ईमेल के ज़रिए मूल या अनुदित या दोनों फाइलें किसी भी ईमेल पर भेज सकते हैं। आपको फाइल सलेक्ट करके केवल ईमेल पता डालना होगा। ईमेल पर ये फाइलें आपको rajbhasha-kanthasth@gov.in की मेल आईडी से अपने मेल में प्राप्त हो जाएंगी।

32. आखिरी आइकन Send File के ज़रिए आप फाइल को उस व्यक्ति तक भेज सकते हैं जिनकी ईमेल आईडी इस आइकन के बराबर में बने बॉक्स में मौजूद हैं।

33. इस पृष्ठ के अंत में शीर्ष पर दायीं ओर जाकर आप लॉग आउट कर सकते हैं।

34. यदि आप अलग से कोई फाइल न खोलकर केवल एक दो या दो–चार वाक्यों का ही अनुवाद करना चाहते हैं तो home page पर ही Instant Translation पर जाएं और अपने वाक्य को यहीं पेस्ट कर दें और नीचे Open in Editor पर क्लिक कर दें तो यह सीधे जाकर Editor में खुल जाएगी जहाँ आप इसका अनुवाद सीधे कर सकते हैं। फाइल बनाने या अपलोड करने का किसी तरह का कोई झंझट नहीं। डाउनलोड करने पर यह फाइल -txt के रूप में प्राप्त होगी और क्लिक करने पर आपको Notepad पर दिखाई देगी।

35. Editor page पर Analysis नाम का एक बटन दिया गया है जिस पर क्लिक करने से यह आप किसी भी फाइल के बारे में सारा विश्लेषण जान सकते हैं।

36. एक विस्तृत शब्दकोश भी शामिल किया गया है जिससे आप मदद ले सकते हैं। अपनी ओर से शब्द जोड़ भी सकते हैं।

37. स्रोत और लक्ष्य भाषा के बीच Translate नाम से बटन दिया गया है जिसे दबाने पर यह किसी वाक्य का पहले आपकी Local TM से अनुवाद तलाशता है, फिर Global TM से और इन दोनों में न होने की स्थिति में TermBase (TB) से अनुवाद तलाशेगा, बशर्ते आपने TermBase को सैटिंग में enable कर रखा हो।

38. मार्च, 2021 के अंत तक, Global TM में बारह लाख से ज्यादा वाक्य अपलोड किए जा चुके हैं और शब्दों में कहूँ तो करीब 2 करोड़ शब्द ''कंठस्थ'' की मेमोरी में मौजूद हैं।

39. जब कोई प्रयोक्ता, चाहे वह पुराना हो या एकदम नया, ''कंठस्थ'' पर काम करने के लिए आता है तो यह ग्लोबल मेमोरी उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि यह उनको दिखाई नहीं देती लेकिन यदि नए किए जाने वाले अनुवाद में से कुछ भी इसकी स्मृति में मौजूद पुराने अनुवाद से 75 प्रतिशत तक मेल खाता है तो यह तुरंत उसे दिखा देती है।

40. एक बार पुनः स्मरण करा दूं कि यह मानवीय बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाला सॉफ्टवेयर है जो गूगल आदि की तरह अपनी जेब से एक भी शब्द का अनुवाद आपको नहीं देगा लेकिन अपनी स्मृति में रखे किसी भी अनुवाद को Translate बटन दबाने पर तत्काल दिखा देगा।

41. Editor page के लिए तीन तरह की थीम दी गई हैं–हरी, नीली और गुलाबी। ''कंठस्थ'' की स्क्रीन के लिए किसी को भी चुना जा सकता है।

(ग) अनुवादक अपनी TM को अपने वैटर को कैसे भेजें

1. आपके (अनुवादक) द्वारा किए गए कार्य को Global TM में भेजने के लिए आपको उसे अनुवाद को TM के रूप में अपने Vetter यानि अपने जाँचकर्ता अधिकारी को भेजना होगा।

2. इसके लिए अपनी अनुवाद की गई फाइल को बंद करें और होम पेज पर मेन्यू बार में Show TM पर क्लिक करें। यहाँ वे सारी TM आपको दिखाई देंगी जो आपने अब तक बनाई हैं–चाहे एक या अनेक।

3. अब आपको अपने अधिकारी को भेजी जाने वाली TM का चयन उस पर डबल क्लिक करके करना होगा जिससे आपकी TM खुल जाएगी। आपके द्वारा अनुवाद किए गए सारे वाक्य या TM दिखाई देने लगेंगे।

4. यहाँ अनुवाद आगे भेजने से पहले आपको एक सुविधा और दी गई है। यदि अनुवादक को लगता है कि मेरे द्वारा save किए गए अनुवाद में कुछ ग़लती है तो वह यहाँ उसे Update कर सकता है। इससे एक नई प्रविष्टि बन जाएगी और वह पुरानी प्रविष्टि को डिलीट कर सकता है।

5. वैटर को भेजे जाने वाले वाक्यों को select कर लीजिए। फिर इस पेज पर Vetter की सूची से अपने Vetter का चयन कर टूल बार में Send to Vetter (वैटर को भेजे) पर क्लिक कर दें। आपका अनुवाद आपके वैटर के पास चला जाएगा।

6. Vetter की सूची में आपको केवल अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सारे वैटर ही दिखाई देंगे।

7. ध्यान रखें, आपको अपने वैटर को TM भेजनी है, फाइल नहीं।

(घ) पुनरीक्षक अधिकारी/वैटर अनुवाद को Global TM में कैसे भेजें

1. मंत्रालय/विभागों/ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों द्वारा जिन अधिकारियों को कंठस्थ के सैंट्रल सर्वर (Global TM) पर डेटा अपलोड करने के लिए जाँचकर्ता अधिकारियों के रूप में अधिकृत करने का अनुरोध किया जाता है, केवल उन्हीं अधिकारियों को जांचकर्ता (vetter) के रूप में अधिकृत किया जाता है। अनुवादकों को इन अधिकृत जाँचकर्ता अधिकारियों के ही नाम दिखाई देंगे।

2. जिन यूजरों को जाँचकर्ता के रूप में अधिकृत किया गया है, केवल उनको ही यह अधिकार दिया गया है कि वे किए गए अनुवाद को Global TM पर भेज सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को ही Send to Global TM का बटन दिखाई देता है। अनुवादकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है, हालांकि जिन उपक्रमों/बैंकों आदि में एक ही व्यक्ति अनुवादक और वैटर–दोनों के रूप में काम करता है, उन्हें अनुरोध करने पर यह अधिकार दिया जाता है।

3. वैटर को अपने Menu Bar में Review (समीक्षा) नामक एक बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने से वैटर को अपने अनुवादक से प्राप्त हुई TM उसकी कंठस्थ आईडी के साथ दिखाई देती है। भेजी गई प्रविष्टियों की संख्या भी दिखाई देती है। TM पर क्लिक करने से उसके द्वारा भेजी गई TM आपको दिखाई देने लग जाएगी।

4. Menu Bar में Notification नामक एक बटन भी दिया गया है, अनुवादक द्वारा सामग्री भेजे जाने पर वैटर को यहाँ भी संदेश मिलेगा और Notification के ठीक बराबर में दिया गया सफेद वृत्त लाल हो जाएगा जो इस बात का संकेत है कि कोई संदेश प्राप्त हुआ है। संदेश पढ़ लेने के बाद यह वृत्त पुन: सफेद रंग का हो जाता है।

5. अब यदि वैटर चाहे तो वाक्य में संशोधन करके उसके सामने दिए गए Update के बटन से उसे अपडेट कर सकता है। अनुवाद से संतुष्ट हो जानने पर उस सारे अनुवाद को select कीजिए जिसे आप ग्लोबल टीएम पर भेजना चाहते हैं।

6. इसके बाद टूल बार में Commit all to Global पर क्लिक करने पर वह सारा अनुवाद Global TM में चला जाएगा। ग्लोबल TM में भेजे जाने के बाद वैटर को वे प्रविष्टियाँ अब अपनी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगी लेकिन अनुवादक को संदेश मिल जाएगा कि उसकी कितनी प्रविष्टियाँ Global TM में भेज दी गई हैं।

7. ध्यान दें कि TM को Global TM में भेजे जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता या भेजी जा चुकी प्रविष्टियों में संशोधन नहीं किया जा सकता।

8. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि Global TM में अनुवाद भेजने से पहले दोनों स्तरों पर (अनुवादक और अधिकारी) उसकी अच्छी प्रकार से जाँच–पड़ताल कर ली जाए।

9. "कंठस्थ" में यह यह भी सुविधा है कि यदि कोई वैटर किसी segment or segments को आगे भेजने लायक नहीं समझता तो वह उन्हें select करके reject कर सकता है। वे वापस अनुवादक के पास चली जाएंगी और अनुवाद की जानकारी के लिए उन अस्वीकृत प्रविष्टियों का रंग लाल हो जाएगा।

10. सबसे बड़ी बात ये है कि वैटर जिस भी वाक्य में जो भी करेक्शन करेगा, वे सारे अनुवादक की TM में अपने आप हो जाएंगे और अनुवादक को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। उसे अपनी ओर से अपने अनुवाद में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ– "कंठस्थ" में अनुवाद करना बहुत आसान– करके तो देखिए।

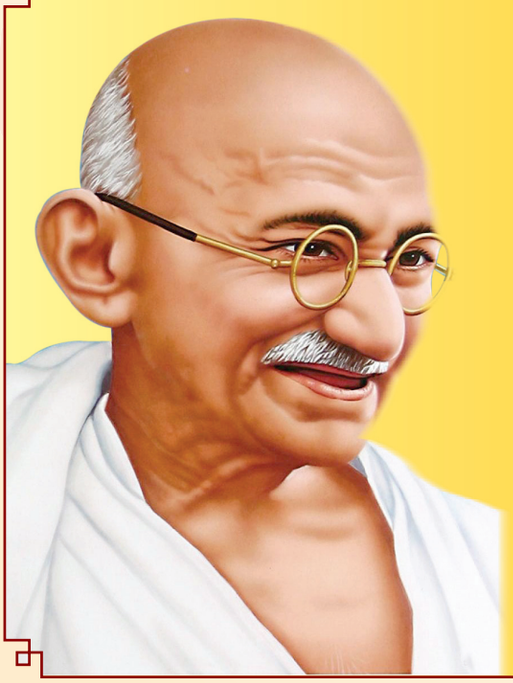

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।"

– महात्मा गांधी

स्विस चैलेंज, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण - दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 के प्रावधान

– अक्षय कुमार, उप प्रबंधक

पृष्ठभूमि–

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, का उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन के लिए एकल कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को मजबूत करना है। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक), 2021 पेश किया।

- विधेयक अप्रैल 2021 में प्रख्यापित दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिये तैयार है।
  - इसने **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों** (MSME) के लिये 1 करोड़ रुपए तक की चूक के साथ एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की, जिसे प्री–पैक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (PIRP) कहा जाता है।
- मार्च 2021 में दिवाला कानून समिति की एक उप–समिति ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 की मूल संरचना के भीतर एक पूर्व–पैक ढाँचे की सिफारिश की।

दिवाला और दिवालियापन संहिता:

- इसे वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है।
- यह दिवालियापन की समस्या के समाधान के लिये सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एकसमान मंच प्रदान करने के लिये मौजूदा विधायी ढाँचे के प्रावधानों को मज़बूत करता है।

- इन्सॉल्वेंसी: यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ होती है।
- बैंकरप्सी: यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये उचित आदेश दिया गया हो। यह किसी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

प्रमुख प्रावधान:

- संकटग्रस्त कॉरपोरेट देनदारों (Distressed Corporate Debtor) को नए तंत्र के अंतर्गत बकाया ऋण की समस्या को हल करने के लिये अपने दो–तिहाई लेनदारों के अनुमोदन के साथ एक PIRP शुरू करने की अनुमति है।
  - कॉरपोरेट देनदार वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को कर्ज़ देता है।

- यदि परिचालक लेनदारों को उनकी बकाया राशि का 100% भुगतान नहीं करता है, तो PIRP संकटग्रस्त कॉरपोरेट देनदार द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के लिये स्विस चैलेंज (Swiss Challenge) की भी अनुमति देता है।
  - स्विस चैलेंज बोली लगाने का एक तरीका है, जिसे अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इच्छुक पार्टी अनुबंध के लिये प्रस्ताव या परियोजना हेतु बोली प्रक्रिया शुरू करती है।

PIRP के विषय में:

- यह सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच समझौते के माध्यम से संकटग्रस्त कंपनी के ऋण का समाधान करता है।
  - दिवाला कार्यवाही की यह प्रणाली पिछले एक दशक में ब्रिटेन और यूरोप में दिवाला समाधान के लिये तेज़ी से लोकप्रिय तंत्र बन गई है।
- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से MSMEs को अपनी देनदारियों के पुनर्गठन का अवसर प्रदान करना और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें शुरू करना है ताकि लेनदारों को भुगतान करने से बचने के लिये फर्मों द्वारा सिस्टम का दुरुपयोग न किया जाए।

- PIRP के दौरान देनदार कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) के विपरीत अपनी संकटग्रस्त फर्म के नियंत्रण में रहते हैं।
- PIRP सिस्टम के अंतर्गत वित्तीय लेनदार संभावित निवेशक के साथ शर्तों के लिये सहमत होंगे और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) से समाधान योजना का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

प्री-पैक की आवश्यकता:

- CIRP एक अधिक समय लेने वाला प्रस्ताव है। दिसंबर 2020 के अंत में चल रही 1717 दिवाला समाधान कार्यवाहियों में से 86% से अधिक ने 270 दिन की समयावधि को पार कर लिया था।
  - IBC के तहत हितधारकों को दिवाला कार्यवाही शुरू होने के 330 दिनों के भीतर CIRP को पूरा करना आवश्यक है।
  - CIRPs में विलंब के प्रमुख कारणों में से एक पूर्ववर्ती प्रमोटरों और संभावित बोली लगाने वालों द्वारा लंबे समय तक मुकदमेबाज़ी करना है।

प्री-पैक की मुख्य विशेषताएं:

- **दिवाला व्यावसायिक:**
  - प्री-पैक के तहत आमतौर पर प्रक्रिया के संचालन हेतु हितधारकों की सहायता के लिये एक दिवाला व्यवसायी (Insolvency Practitioner) की सेवाओं की आवश्यकता होती है।
  - व्यवसायी के अधिकार की सीमा विभिन्न क्षेत्राधिकार में भिन्न होती है।
- **सहमति प्रक्रिया:**
  - यह एक सहमति प्रक्रिया की परिकल्पना करता है जिसमें प्रक्रिया के औपचारिक भाग को लागू करने से पहले, सहमति प्रक्रिया में

तनाव को समाप्त करने हेतु कार्रवाई के दौरान हितधारकों के मध्य पूर्व समझ विकसित करना या अनुमोदन शामिल है।

- **न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं:**
  - इसे लागू करने हेतु हमेशा न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जहां भी इसे अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वहाँ न्यायालय की कार्यवाही अक्सर पार्टियों के व्यावसायिक ज्ञान से निर्देशित होती है।
  - न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्री–पैक प्रक्रिया का परिणाम सभी हितधारकों के लिये बाध्यकारी है।

प्री–पैक का महत्त्व:

- **त्वरित समाधान**
  - यह अधिकतम 120 दिनों तक सीमित होता है, जिसमें 90 दिन हितधारकों के लिये 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCLT) के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिये होते हैं।
  - MSMEs को अपने ऋणों के पुनर्गठन के लिये मार्ग प्रदान करने के अलावा प्री–पैक योजना सामान्य CIRPs की तुलना में तीव्र समाधान तंत्र प्रदान कर NCLT के बोझ को कम कर सकती है।
- **व्यवसाय में कम–से–कम व्यवधान**
  - समाधान पेशेवरों के बजाय प्री–पैक के मामले में कंपनी का नियंत्रण मौजूदा प्रबंधन के पास ही रहता है, इसलिये व्यवसाय में व्यवधान को कम किया जा सकता है और कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों तथा निवेशकों के विश्वास को बनाए रखा जा सकता है।
- **यह संपूर्ण देयता पक्ष को संबोधित करता है:**
  - PIRP कॉरपोरेट देनदारों को उधारदाताओं की सहमति से पुनर्गठन करने और कंपनी के संपूर्ण दायित्व को संबोधित करने में मदद करेगा।

PIRP की चुनौतियाँ:

- **अतिरिक्त पूंजी जुटाना:**
  - प्रारंभ में कॉरपोरेट देनदार निवेशकों या बैंकों से अतिरिक्त पूंजी या ऋण नहीं जुटा सकती हैं, क्योंकि इन निवेशकों और उधारदाताओं द्वारा प्रदान किये जा रहे धन की वसूली में जोखिम शामिल है।

- **लघु समयावधि:**
  - PIRP के तहत समाधान योजना 90 दिनों की है तथा योजना के समर्थन के लिये निर्णायक प्राधिकरण (AA) को अतिरिक्त 30 दिन दिये गए हैं। लेनदारों की समिति (COC) के सदस्यों के लिये इस छोटी अवधि के भीतर बिना किसी व्यापक पैरामीटर के समाधान योजना पर निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण है, जिस पर समाधान योजना को मंजूरी दी जाए।

आगे की राह

- जबकि PIRP व्यवहार्य MSMEs की रक्षा के लिये एक सामयिक प्रयास है, यह संभावना जताई जाती है कि अब केवल MSMEs के लिये इसे चालू करना एक अच्छे प्री–पैक की दिशा में पहला कदम हो सकता है जो BC की तरह भविष्य में बहुत व्यापक कवरेज की ओर ले जाएगा तथा इसके समय और न्यायशास्त्र के साथ विकसित होने की अपेक्षा की जाती है।
- सरकार को प्री–पैक समाधान योजनाओं से निपटने के लिये एनसीएलटी की विशिष्ट बेंच स्थापित करने पर विचार करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया गया है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य

– मनोज कुमार, उप प्रबंधक

संदर्भ

वर्ष 2008 में बिटकॉइन के निर्माण के साथ आज की तारीख तक क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। जनवरी 2020 में कोविड–19 महामारी की शुरुआत के बाद से इस क्षेत्र में लाभ आश्चर्यजनक हैं। ज्ञातव्य है कि 'क्रिप्टोमार्केट' में 500% से अधिक की वृद्धि हुई।

- हांलाकि 2018–19 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत डिजिटल क्रांति के अब तक सभी चरणों को देर से अपनाने वाला रहा है चाहे वो अर्द्धचालक या इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन।
- अतः अब इन आभासी मुद्राओं पर विचारों को बदलने एवं उन्हें स्वीकृति देने की आवश्यकता है क्योंकि ये भारत की डिजिटल क्रांति के नए चरण में प्रवेश करने की दिशा में भारत का पहला कदम होगा।

क्रिप्टोकरेंसी का उदय– पहली क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, का वर्ष 2010 में केवल $0.0008 का कारोबार किया था और अप्रैल 2021 में इसका बाज़ार मूल्य लगभग $65,000 था।

- बिटकॉइन के लॉन्च के बाद से कई नए क्रिप्टोकरेंसी भी बाज़ार में आए एवं मई 2021 तक उनका कुल बाज़ार मूल्य 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।

क्रिप्टोकरेंसी का महत्त्व:

- **भ्रष्टाचार की रोकथाम:** चूंकि क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन प्रणाली अर्थात् पीयर–टू–पीयर नेटवर्क पर कार्य करती हैं, यह धन के प्रवाह और लेनदेन को ट्रैक करके भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है।
- **समय प्रभावी:** क्रिप्टोकरेंसी धन के प्रेषक और रिसीवर के लिये पर्याप्त समय बचाने में मदद कर सकती है क्योंकि यह पूरी तरह से इंटरनेट पर संचालित होता है। यह एक ऐसे तंत्र पर चलता है जिसमें बहुत कम लेनदेन शुल्क शामिल होता है और यह लगभग तात्कालिक होता है।
- **लागत प्रभावी:** बैंक, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे जैसे बिचौलिये अपनी सेवाओं के लिये $100 ट्रिलियन की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से लगभग 3% शुल्क के रूप में लेते हैं।
  - इन क्षेत्रों में ब्लॉकचेन को एकीकृत करने से सैकड़ों अरबों डॉलर की बचत हो सकती है।
- **भारत में क्रिप्टोकरेंसी:** वर्ष 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में कार्य करने से रोका गया। इस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने मई 2020 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
  - हाल ही में सरकार ने एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा बनाने और साथ ही, सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिये क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 पेश करने की घोषणा की है।
  - भारत में भारतीय ब्लॉकचेन स्टार्ट–अप्स में जाने वाली धनराशि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र द्वारा जुटाई गई राशि का 0.2% से भी कम है।
  - क्रिप्टोकरेंसी के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण के कारण ब्लॉकचेन उद्यमियों और निवेशकों के लिये बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना लगभग असंभव है।

विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े मुद्दे

- **पूर्ण प्रतिबंध:** क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है।
  - हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी को सार्वजनिक (सरकार समर्थित) या निजी (एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली) के रूप में वर्गीकृत करना गलत है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत हैं लेकिन निजी नहीं हैं।
  - बिटकॉइन जैसी विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी को निजी या सार्वजनिक किसी भी संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

- **ब्रेन–ड्रेन:** क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप भारत से प्रतिभा और व्यवसाय दोनों का पलायन हो सकता है, जैसा कि आरबीआई के 2018 के प्रतिबंध के बाद हुआ था।

  - उस समय ब्लॉकचेन विशेषज्ञ स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, एस्टोनिया और यू.एस. जैसे देशों में चले गए जहाँ क्रिप्टो को विनियमित किया गया था।
  - पूर्ण प्रतिबंध के कारण नवाचार, शासन, डेटा अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्रों में ब्लॉकचेन के उपयोग में अवरोध उत्पन्न होगा।

- **परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का अभाव:** यह प्रतिबंध भारत के उद्यमियों और नागरिकों को एक ऐसी परिवर्तनकारी तकनीक से वंचित करेगा जिसे दुनिया भर में तेज़ी से अपनाया जा रहा है, जिसमें टेस्ला और मास्टरकार्ड जैसे कुछ सबसे बड़े उद्यम शामिल हैं।
  - निजी क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से केवल समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, अवैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा जो प्रतिबंध के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। प्रतिबंध संभव नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकता है।

विरोधाभासी नीतियां: क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के ब्लॉकचैन, 2021 पर राष्ट्रीय रणनीति के मसौदे के साथ असंगत है, जिसने ब्लॉकचेन तकनीक को पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल तकनीक के रूप में स्वीकार किया।

आगे की राह

- **विनियमन ही समाधान:** गंभीर समस्याओं को रोकने के लिये एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग न हो तथा निवेशकों को अत्यधिक बाजार अस्थिरता और संभावित घोटालों से बचाने के लिये विनियमन की आवश्यकता है।
  - विनियमन को स्पष्ट, पारदर्शी, सुसंगत और इस दृष्टि से अनुप्राणित होने की आवश्यकता है कि उसका उद्देश्य क्या है।
- **क्रिप्टोकरेंसी परिभाषा पर स्पष्टता:** कानूनी और नियामक ढांचे को पहले क्रिप्टो–मुद्राओं से संबंधित परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिये। राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये मुद्रा प्रतिभूतियों के तहत आयेंगे या अन्य वित्तीय साधनों के रूप में परिभाषित किये जाएंगे।
  - मजबूत केवाईसी मानदंड: क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सरकार कड़े केवाईसी (Know Your Customer) मानदंडों, रिपोर्टिंग और कर योग्यता को शामिल करके क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार को विनियमित करेगी।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिये रिकॉर्ड कीपिंग, निरीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, निवेशक द्वारा शिकायत निवारण और विवाद समाधान पर भी विचार किया जा सकता है।
- **उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना:** क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उद्यमशीलता की लहर को बढ़ावा दे सकती है एवं ब्लॉकचैन डेवलपर्स से लेकर डिज़ाइनरों, प्रोजेक्ट मैनेजरों, बिज़नेस एनालिस्ट, प्रमोटर्स और मार्केटर्स तक विभिन्न स्तरों पर रोज़गार के अवसर पैदा कर सकती है।

निष्कर्ष

भारत वर्तमान में डिजिटल क्रांति के अगले चरण के शिखर पर है और अपनी मानव पूंजी, विशेषज्ञता और संसाधनों को इस क्रांति में शामिल कर इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। इसके लिये केवल नीति निर्धारण को ठीक करने की आवश्यकता है।

ब्लॉकचैन और क्रिप्टो संपत्ति चौथी औद्योगिक क्रांति का एक अभिन्न अंग होगी भारतीयों को इसे बायपास नहीं करना चाहिये।

कोविड के दौर में जिंदगी में बदलाव

– मेनका राणा, उप प्रबंधक

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और खतरे ने देशभर के लोगों की जिंदगी में कई तरह के बदलाव किए हैं। घर में रहने से लेकर दफ्तर में काम करने और रास्ते में सफर के दौरान बहुत बदलाव आया है। इस महामारी ने हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के नागरिकों के जीवन में उथल–पुथल मचा रखी है। कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर नकारात्मक परिणाम देखने–सुनने को मिल रहे हैं। बहुत से लोग इसकी वजह से अपना रोजगार खो बैठे हैं तो कुछ लोग शारीरिक व मानसिक बीमारी का शिकार बन गए हैं और करोड़ों लोग अपनी जान गवा चुके हैं ।

इन सब के बीच कोरोना के दौरान पिछले कई महीनों में कुछ अच्छी बातें हमने सीखी हैं, कुछ ऐसे सबक हमने लिए हैं जिनको हम भुला चुके थे। हमारे जीवन में कोरोना संक्रमण के चलते कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं जो इस प्रकार हैं :

साफ–सफाई पर ज्यादा ध्यान देना

ज्यादातर लोग अब कहीं भी बैठने से पहले पूर्व की तुलना में अधिक सचेत रहने लगे हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। घर–दफ्तरों में भी पहले की तुलना में साफ–सफाई का महत्व बढ़ा है। ज्यादातर राज्यों में सड़क पर थूकने पर 500/– रुपये पर जुर्माना लगाया जा रहा है जिस वजह से इसमे भी कमी आयी है।

सीमित संसाधनों में रहना

कोविड–19 में बिताए गए पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने सीखा कि कम से कम साधनों का इस्तेमाल करके भी हम कैसे शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय घर पर भी आराम से अपना काम करते हुए बिता सकते है।

पौष्टिक खाने की ओर रुख

घर पर कुछ भी नया खाना ट्राई करने के बजाय लोग बाहर से ऑर्डर करना या बाहर जाकर खाना पसंद करते थे लेकिन कोरोना ने इस आदत को काफी हद तक बदल दिया। अब बाहर के खाने और बाहर जाकर खाने से बीमार होने का खतरा है तो लोगों ने घर पर ही स्वादिष्ट व पौष्टिक खाना बनाने और खाने की ओर रुख किया है।

स्वास्थ्य का महत्व

दौड़–धूप और व्यस्तता के चलते हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ लापरवाह हो गये थे। लेकिन जैसे ही कोरोना ने हमारे देश में प्रवेश किया, हमें समझ आया कि हमारा स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है अतः अब स्वास्थ्य के लिये लोग पहले से ज्यादा सजग हो गये हैं।

हाथ मिलाना छोड़ दिया लोगों ने

भारत देश में पहले से ही हाथ मिलाने की नहीं, बल्कि नमस्ते–प्रणाम या फिर सलाम–आदाब की परंपरा रही है। यह परंपरा भारतीय जीवनशैली में फिर लौट आई है।

मास्क का इस्तेमाल

लोगों की जिंदगी में और उनके लाइफस्टाइल में मास्क जरूरी हिस्सा बन गया

है। फैशन के साथ साथ घर, दफ्तर या सफर के दौरान लोग हर हाल में मास्क लगाने लगे हैं।

परिवार के साथ समय व्यतीत करना

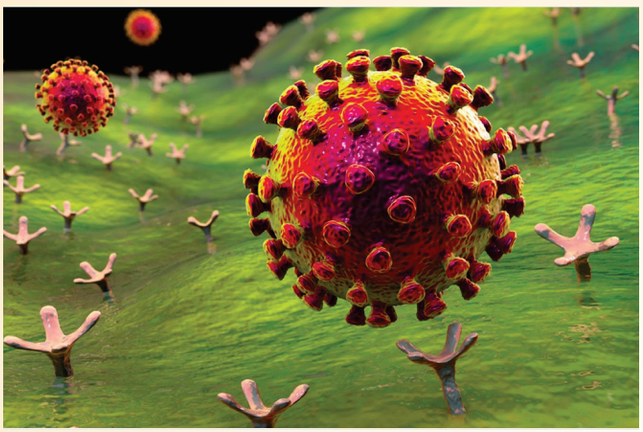

अपने ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण, जो माता–पिता बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, उनको भी बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिला। इस दौरान माता–पिता ने भी सीखा कि बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना कितना जरूरी और कितना खुशी देने वाला है।

धूम्रपान में आई कमी

शोधकर्ताओं के मुताबिक, धूम्रपान करने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा है। ऐसे में लोगों ने धूम्रपान छोड़ना शुरू कर दिया है।

"वर्क फ्रॉम होम" को बढ़ावा

कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में वर्क फ्रॉम होम में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा तो टलता ही है, साथ ही आवाजाही का समय भी बच रहा है। इसके कुछ नुकसान हैं, मसलन बोरियत और एक ही जगह बैठे–बैठे स्वास्थ्य प्रभावित होना। यहां तक कि मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है। बावजूद इसके कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गया है।

अतः मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इन उपरोक्त सकारात्मक बातों को अपने जीवनशैली का अभिन्न अंग बना कर आजीवन इसका पालन करने की कोशिश करुंगी।

"हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद–भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।"

– पंडित मदनमोहन मालवीय

भारत के संविधान की छठी अनुसूची और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इसका महत्व

– तोफान महालिक, उप प्रबंधक

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। यह आदिवासी आबादी की रक्षा करता है और स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करता है जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य पर कानून बना सकते हैं। अभी तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित, यह स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। एडीसी एक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें संविधान ने राज्य विधायिका के भीतर स्वायत्तता की अलग–अलग डिग्री दी है।

प्रमुख प्रावधान:

1. राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को संगठित और पुनर्गठित करने का अधिकार है।
2. यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।

3. संरचना: प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
4. कार्यकाल: निर्वाचित सदस्य पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं (जब तक कि परिषद पहले भंग नहीं हो जाती) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल की इच्छा के दौरान पद धारण करते हैं।
5. प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है।
6. परिषदों की शक्तियाँ: जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं। वे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, और संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति–रिवाजों आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामलों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों को राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
7. ग्राम परिषदें: अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर जिला और क्षेत्रीय परिषदें जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। वे उनसे अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

असम में निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्र उत्तरी कछार हिल्स (अब दीमा हसाओ जिला), कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा, असम सरकार ने उन निर्दिष्ट क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार के लिए विभिन्न स्वायत्त परिषदें बनाई हैं। कार्बी आंगलोंग जिला (भूमि और राजस्व) अधिनियम, 1979, कार्बी आंगलोंग जिले (भूमि और राजस्व) नियम, 1981, बोडोलैंड स्वायत्त परिषद अधिनियम, 1993, मिकिर हिल्स (भूमि और राजस्व) अधिनियम, 1953, लालुंग (तिवा) स्वायत्त परिषद अधिनियम, 1995, मिशिंग स्वायत्त परिषद अधिनियम, 1995, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद अधिनियम, 1995 उन क्षेत्रों में प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित किए गए थे। कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में, जिला परिषदें जिलों के भू–राजस्व प्रशासन को नियंत्रित करती हैं।

छठी अनुसूची से संबंधित मुद्दे

संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करना: छठी अनुसूची गैर–आदिवासी निवासियों के खिलाफ विभिन्न तरीकों से भेदभाव करती है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15), और अधिकार भारत में कहीं भी बस जाएं (अनुच्छेद 19)।

- इसके परिणामस्वरूप आदिवासियों और गैर–आदिवासियों के बीच बार–बार दंगे हुए हैं। इसने कई गैर–आदिवासियों को उत्तर–पूर्वी राज्यों से बाहर कर दिया है।

- कई गैर–आदिवासी हिंसा के साये में जीना जारी रखते हैं, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मज़ाक उड़ाया जाता है।

सत्ता के कई केंद्रः इसने क्षेत्र में स्वायत्तता की एक वास्तविक प्रक्रिया लाने के बजाय कई शक्ति केंद्र बनाए हैं।

- जिला परिषदों और राज्य विधानमंडलों के बीच हितों के टकराव के मामले अक्सर होते रहते हैं।

- उदाहरण के लिए, मेघालय में, राज्य के गठन के बावजूद, पूरा राज्य छठी अनुसूची के तहत जारी है, जिससे राज्य सरकार के साथ लगातार संघर्ष हो रहा है।

एक्ट–ईस्ट पॉलिसी में बाधाः छठी अनुसूची के तहत प्रतिबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता के लिए बाधा हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर निर्बाध संपर्क और आदान–प्रदान आवश्यक है।

- इसी तरह, इनर लाइन परमिट (ILP) निवेशकों और पर्यटकों को रोकता है और इस तरह इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बाधित करता है।

निष्कर्ष

हाशिए के वर्गों के विकास और विकास के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता है। हालांकि, इस कानून के कारण क्षेत्र के गैर–आदिवासियों को पीड़ित नहीं होना चाहिए। सरकार और अन्य एजेंसियों को इस संवेदनशील मुद्दे से निपटने के लिए क्षेत्र के भीतर आदिवासियों और गैर–आदिवासियों दोनों का विश्वास जीतने और उनमें सुरक्षा और अपनेपन की भावना लाने की जरूरत है।

"समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।"

– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

कोविड के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटना: कितना अलग है ये इस बार

अतिथि लेख – राजिन्दर (राज) सिंह, निदेशक, आईएमजीसी

यह सामान्य बात है कि कोरोना के कारण उत्पन्न पिछले दस महीने के आर्थिक गिरावट की तुलना पिछले वैश्विक आर्थिक मंदी से की जाए। हालांकि दोनों के कारण और प्रभाव थोड़े अलग हैं लेकिन इनमें ही वापसी करने के कई सारे उपाय छिपे हैं। संपूर्ण वित्तीय सेवाएं उद्योग भर में किसी आकस्मिक गिरावट के मामले में तेजी से और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया करने हेतु सुरक्षित वर्षों के दौरान निर्मित टूलकिट के साथ बेहतर तरीके से सीआरओ को तैयार किया गया था। यह लेख जीएफसी के बाद विकसित और लागू कई सार्वजनिक–निजी आवास प्रतिधारण रणनीतियों पर केंद्रित है। उधारकर्ता को संभालने और आवास उद्योग को दोबारा मजबूत करने हेतु इनमें से कुछ को पुनर्गठित और लागू करने की आवश्कता होगी।

वास्तव में वर्ष 2020–21 में अर्थव्यवस्था में विचलन दिखा है – अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो गैर–कॉलेज डिग्री वाली आबादी और महामारी सहायता कार्यक्रम के लोगों में बेरोजगारी की दर बढ़ती हुई दिखी है जबकि देशभर में आवासों की कीमत बढ़ती रही है। उदार मॉर्टगेज सहनशीलता (भुगतान स्थगन) कार्यक्रमों ने एक बड़ी संख्या में बेरोजगार या अर्द्ध–बेरोजगार उधारकर्ताओं को छिपा लिया है जो असल में अपने मॉर्टगेज भुगतानों को अदा नहीं कर पा रहे हैं और इन कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद भयानक चलनिधि का सामना करेंगे। हानि

न्यूनीकरण कार्यक्रमों को इस परिदृश्य का मुकाबला करना जरूरी है जहां ये जीएफसी के समान हों, तथापि इस बार उधारकर्ताओं की इक्विटी स्थिति पिछले बार के मुकाबले काफी बेहतर है।

पहले चलिए एक बार यू.एस. मॉर्टगेज इतिहास को थोड़ा फिर से याद कर लेते हैं। परंपरागत मॉर्टगेज हेतु वर्ष 2010 में गंभीर विलंब दरें (तीन या उससे अधिक भुगतानों की चूक) 7 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई थीं। शिथिल जोखिम अंकन

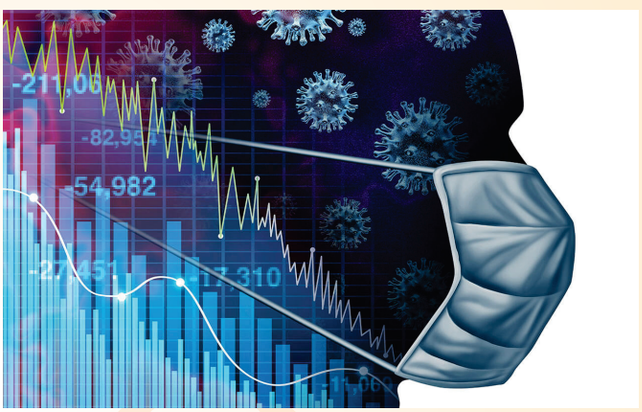

मानक, आच्छादित जोखिम उत्पाद और नकदी पुनर्वित्त के माध्यम से महत्वपूर्ण इक्विटी ने मंदी के प्रभाव को और बढ़ा दिया। इसी समय पुरोबंध दर 2.3 प्रतिशत पर पहुंच चुकी थी। इसके कारण वर्ष 2008–10 में लगभग 10 मे से 1 मॉर्टगेज उधारकर्ता या तो बेदखल हो गए या उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। अब अगर हम 2020 के शुरूआती महीनों की बात करें तो इस आंकड़े में सुधार हुआ। अब 3000 संपत्तियों में से 1 में गंभीर रूप से देरी या पुरोबंध करने की जरूरत पड़ी। जीएफसी स्तरों तक वापस आने में लगभग एक दशक का समय लगा। व्यापक मॉर्टगेज चूक समस्या को नियंत्रण में लाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम विकसित और लागू किए गए। इन कार्यक्रमों ने असंख्य उधारकर्ता परिस्थितियों हेतु समाधान ढूंढा अस्थाई कठिनाई, स्थाई नौकरी गंवाने वाले या आवास की कीमत में बहुत अधिक गिरावट के कारण नकारात्मक इक्विटी और मॉर्टगेज भुगतान को जारी रखने हेतु निरूत्साहित उधारकर्ता शामिल हैं।

आवास किफायती पुनर्वित्त कार्यक्रम (एचएआरपी) उन उधारकर्ताओं को लक्षित था जो अपने अच्छे भुगतान बर्ताव के बावजूद अपने मॉर्टगेज में "फंस" गए थे। उन्हें मौजूदा निम्न ब्याज दरों पर पुनर्वित्त सहायता नहीं दिया जा सका जिसके कारण उधारदाता के नए मॉर्टगेज हामीदारी मानकों के अंतर्गत आवास कीमतों में गिरावट होने से उनका मौजूदा मूल्य के अनुपात में ऋण बहुत अधिक हो गया या मौजूदा

क्रेडिट स्कोर बिगड़ गया या मौजूदा आय की तुलना में ऋण बहुत अधिक हो गया। यह कार्यक्रम एक दशक तक चला और इसने साढ़े तीन मिलियन उधारकर्ताओं को अपने बकाया राशि और मौजूदा मॉर्टगेज बीमा कवर को निम्न मासिक भुगतान वाले नए मॉर्टगेज में बदलने में मदद की जब तक ये पिछले छह माह हेतु अपने मौजूदा मॉर्टगेज पर वर्तमान रहे और पिछले बारह महीनों में एक से अधिक विलंब भुगतान न हुआ हो। यह कार्यक्रम निःसंदेह सर्वश्रेष्ठ आवास प्रतिधारण पहलों मे से एक था जिसने प्रभावी तरीके से काम किया और कोई नैतिक खतरा पैदा नहीं किया क्योंकि आवास प्रतिधारण सभी शामिल हितधारकों के सर्वश्रेष्ठ हित में था और कोई भी मापदंड से नहीं खेल सकता था।

आवास किफायती सुधार कार्यक्रम (एचएएमपी) एक और बहुत ही सफल आवास प्रतिधारण पहल थी जिसमें ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सक्रिय सरकारी सब्सिडी थी। यह उन उधारकर्ताओं को लक्षित थी जिनको पारिवारिक आय में कमी या अस्थाई कठिनाई का अनुभव हुआ। ऋण को इस तरह दोबार तैयार किया गया कि नए मासिक भुगतान किफायती थे। इस कार्यक्रम को परीक्षण भुगतान अवधि और स्थाई ऋण संशोधन अवधि में विभाजित किया गया था। ऋणदाता/सेवा प्रदाता उधारकर्ता के चुकौती के आधार पर निर्धारित नकद प्रोत्साहन का भुगतान करते थे। एक दशक के भीतर डेढ़ मिलियन उधारकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को चुना जिसमें से आधे से अधिक अपने संशोधित मॉर्टगेज पर बने हुए हैं या अपना ऋण चुका दिया। यह आंकड़े काफी प्रभावित करने वाले हैं।

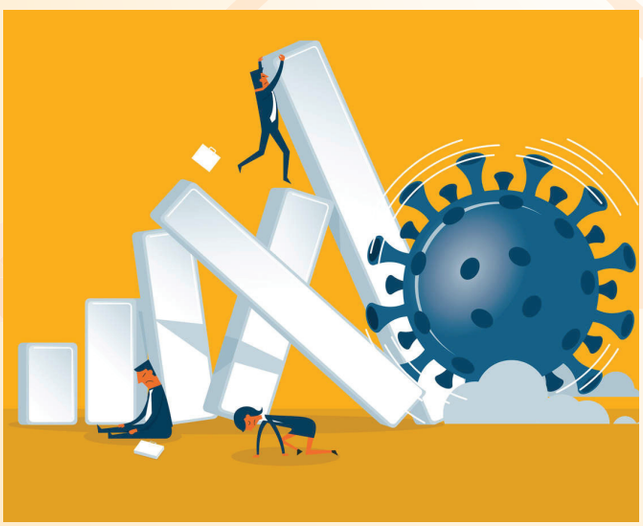

आवास किफायती पुरोबंध विकल्प (एचएएफए) कार्यक्रम उन उधारकर्ताओं को लक्षित था जो फिर से चूक गए थे या एचएएमपी हेतु पात्र नहीं थे और छोटी बिक्रियों (ऋण बकाया की तुलना में कम कीमत पर मकान बेचना) या के बदले विलेख के माध्यम से खर्चीले और समय लगने वाले पुरोबंध प्रक्रिया के बिना निपटान के इच्छुक थे।

मॉर्टगेज हेतु पुरोबंध सबसे कम वांछनीय परिणाम है; यह ऋणदाता, गारंटीकर्ता और वैकल्पिक समाधान ढूंढने वाली सोसाइटी के सर्वश्रेष्ठ हित में होता है जब उधारकर्ता वित्तीय परेशानी में फंस जाता है। यह मंदी के दौरान विशेष रूप से अत्यावश्यक हो जाता है जब आप नहीं चाहते कि एक ही समय में संपूर्ण आवास उद्योग को पुरोबंध का सामना करना पड़े, जिससे घर की कीमतों में गिरावट हो। ऊपर दिए गए कार्यक्रमों ने कई वर्षों तक दर्द को तितर–बितर कर आवास अर्थव्यवस्था को और अधिक धक्का लगने से बचाने में मदद की और उधारकर्ताओं को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करने हेतु निम्न मासिक भुगतानों के साथ उपाय प्रदान किया। लागत को विभिन्न हितधारकों के बीच साझा किया गया जिसमें सरकार (एचएएमपी हेतु सब्सिडी), मॉर्टगेज बीमाकर्ता (प्रथम हानि दावा भुगतान), ऋणदाता (अवशिष्ट हानियां) और यकीनन उधारकर्ता शामिल हैं जिसने अपना घर खोया या अपने घर में महत्वपूर्ण इक्विटी खोई।

जीएफसी के बाद आवास के क्षेत्र में जो रौनक लौटी है उससे हमें यह सीख मिलती है कि आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए कई प्रकार के साधन की जरूरत है; क्योंकि हर समस्या का एक ही समाधान नहीं हो सकता है। इन सभी समाधानों हेतु सभी हितधारकों यथा उधारकर्ता, ऋणदाता, मॉर्टगेज बीमाकर्ता और विनियामक के बीच बेहतर समन्वय और पारदर्शिता की जरूरत है।

लक्ष्य

– गीता प्रसाद (माता जी : सुश्री दीपाली नन्दन प्रसाद, प्रबंधक)

किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। चुप्पी किसी आने वाले तूफान का संकेत भी हो सकती है। ऐसे ही लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर जाते है। सिर्फ व्यक्ति में साहस और क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद उससे सफलता कभी भी दूर नहीं रह सकती है।

एक युवक गाँव छोड़कर शहर आया था। उसके मन में एक लालसा थी कि वह शहर में रह कर अपने भाग्य को चमका सके। लोगों के लिए उनका विचार उपहास का विषय था। सब उनसे मिलना जुलना, बातचीत तो अच्छी तरह कर लेते थे पर पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते थे। उस समय शहर में चार वरिष्ठ अधिवक्ता थे। दो क्रिमनल के थे और दो सिविल के थे। चारों अपने–अपने क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके थे। 6 सबडिवीजन में उनका नाम काफी फैल चुका था।

उस युवक का नाम कैलाश प्रसाद सिन्हा था। वे वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू हरमन्दन प्रसाद के साथ काम करने लगे। गाँव की बोल–चाल की भाषा तो शहर की बोल–चाल की भाषा से अलग होती ही है। उन्होंने अपने बोल–चाल की भाषा पर अंकुश लगाया। सीनियर की बहस सुनकर बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। शुरू–शुरू में तो कोर्ट में फाइल ले जाना तथा पेशकर से तारीख लेने का काम शुरू किया था। इतने में ही उनकी परेशानी का अंत नहीं था इसके लिए उन्हें सुबह 2 बजे से ही सीनियर के चेम्बर में पहुँचना पड़ता था और देर शाम तक तारीख लेकर ही वह कोर्ट से घर जाते थे।

उस समय का दस्तावेज (पट्टा) कैथी, अंग्रेजी, बांग्ला या संथाली में होता था। इसलिए वह बचे हुए बाकी समय में इन सब काम करना शुरू किये। धीरे–धीरे सभी भाषा को समझने लगे। अंग्रेजी वो बोल तो नहीं सकते थे पर समझ जाते थे। थोड़े ही दिनों में अंग्रेजी लिखना सीख गये थे। अब उन्हें काम काज करने में कम समय लगने लगा। उस समय तारीख वगैरह भी अंग्रेजी में मिलती थी। पहले उन्हें समझने में समय लगता था लेकिन जब से अंग्रेजी का ज्ञान हुआ तब से उन्हें समय भी कम लगने लगा। उनकी मेहनत और ईमानदारी से उनके सीनियर भी बहुत खुश थे।

कोई भी मोकिल को पहले इनके पास आना पड़ता था। अपने मुकदमा के बारे में सब कुछ समझना पड़ता था। सभी भाषा की जानकारी रहने के कारण अच्छी तरह उसी की भाषा में समझ सकते थे। आधे से अधिक काम करके फाइल सीनियर के पास ले जाते थे। उनके व्यवहार के कारण वे सीनियर के घर का भी काम देखते थे। बैंक का सारा काम उन्हीं के जिम्मे था। बच्चों के शादी ब्याह में इंतजाम करना भी उन्हीं के जिम्मे रहता था। उस समय चर्च का काम भी उनके सीनियर ही करते थे। वहां के सभी कागजात का हिसाब भी बड़े अच्छी तरह से करते थे। वहाँ के अधिकारी उनसे बहुत संतुष्ट थे।

इतने कामों में व्यस्त रहने के बावजूद भी अपना एक पल भी बेकार नहीं जाने देते थे। रात के समय बैठकर टाइप करते थे। अगर जरूरत पड़ी तो सुबह उठकर भी टाइप करते थे। उनका हाथ टाइप करने में काफी साफ था। बड़ा से बड़ा शब्द भी गलत नहीं होता था। उनकी सफाई को देखते हुए और अधिवक्ता भी टाइप का काम उन्हें देने लगे।

उनमें एक आदत बहुत जबरदस्त थी। वह किसी भी काम में किसी को नहीं बोलते थे। छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा वे उतनी ही लगन से करते थे। सभी कामों में उनकी मेहनत ईमानदारी के साथ दिखती थी। कुछ साल में ही वे पांच बच्चों के पिता भी बने। अपने बच्चों की देख–रेख बहुत अच्छी तरह करते थे। अपनी थोड़ी सी कमाई में ही अपने बच्चों को पढ़ाया। दोनो बेटी की शादी भी अच्छे घर में किये। बेटा सब भी लायक निकला। धीरे–धीरे प्रसाद साहब उन्हें बेटे की तरह मानने लगे। हर पर्व में लेन–देन की प्रथा चलने लगी। होली में सबसे पहले उन्हीं के यहां से पकवान बनकर आ जाता था।

समय बीतता गया। एक दिन ऐसा भी आया कि उनके सीनियर नहीं रहे। उतना दुख तो शायद परिवार में भी नहीं हुआ होगा, जितने दुखों का सामना उन्हें करना पड़ता था। उनका सारा भूत और वर्तमान उन्हीं के सहारे संवरा था। उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी सीनियर के सहारे हुई।

प्रसाद साहब के बाद उनके बेटे ने उनका सभी कार्यभार संभाला। वह अच्छी तरह जानते थे कि मैं भैया (कैलाश बाबू) के सहारे इस काम में सक्षम हो सकूंगा। भैया उनके दाहिने हाथ बनकर उनके साथ काम करने लगे। उन्हें खेल–कूद का भी शौक था इसलिए काम का भार उनके पास ज्यादा था। उनका बेटा (राजा बाबू) जो क्रिमनल के तरफ ज्यादा झुकता था। उस काम को भी अपनी सहायता से

सदा राजाबाबू का साथ देते रहे। लोग उनके साथ इन्हें भी उतनी ही इज्जत देते थे। उम्र की थकान में भी कभी साथ नहीं छोड़ें।

समय के साथ–साथ उम्र भी बढ़ने लगी। शरीर भी थकने लगा। उनकी धर्मपत्नी का देहान्त हो चुका था। इसलिए वह भीतर से भी टूट चुके थे। बीमारियां उन्हें तंग करने लगी। बच्चे सब अपनी अपनी तरह से सेवा करने लगे। लेकिन वह बच नहीं पाये। इस संसार में संघर्ष करते रहे और संघर्ष अंत तक जारी रहा। यह व्यक्ति हम सभी के लिए एक उदाहरण है। हमें उन्हें नजदीक से समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वर हम सभी को उनकी तरह मेहनती बनाये। ईमानदारी का ज्ञान भी ईश्वर हम सभी को प्रदान करें।

वह पवित्र आत्मा तो अब हम सब को छोड़ चुकी है। उनकी सहनशीलता हम सभी के लिए एक वरदान साबित हुई। उन्होंने यह कर दिखाया कि लक्ष्य को पाने के लिए जीवन को संघर्ष की चक्की में पीस देना पड़ता है। उस तपस्या के बल पर वह आज भी हम सब के बीच है। उनकी उदारता बड़े से लेकर छोटे तक में बटी हुई है। इतना सहज व्यक्ति आज के जमाने में नहीं मिलेगा। उनकी कमी इन्हीं गुणों के कारण बहुत खलती है। भगवान ने उन्हें साक्षात गुणों से भर कर हम लोगों के बीच भेजा था। मेरे लिए तो बिल्कुल बड़े भाई थे। जबकि उस समय मैसूर में पर्दा प्रथा थी। इसलिए मैं उन्हें नजदीक से तो देख नहीं पाई थी। फिर भी उनका स्नेह सदा मेरे लिए छोटी बहन की तरह ही था।

"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।"

– सुमित्रानंदन पंत

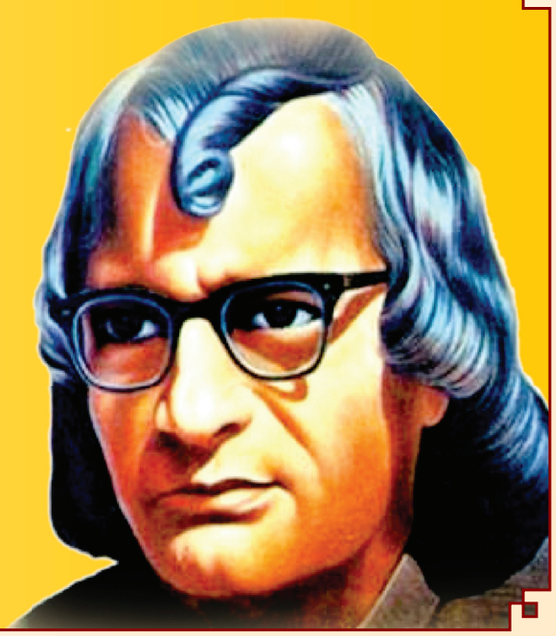

वित्तीय संस्थाओं में आंकड़े विश्लेषण की उपयोगिता

– प्रशांत कुमार राय, सहायक महाप्रबंधक

आधुनिक युग में व्यवसायिक संस्थानों में आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित व्यवसायिक योजनाओं का प्रचलन बड़ा है। अमेजन, फिलिपकार्ट, कैपिटल वन, अमेरिकन एक्सप्रेस, SBI कार्डस इत्यादि ने अपने क्षेत्र में रणनीतिक साधन के रूप में वृहद पैमाने पर विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले अवस्थापना की स्थापना की और ग्राहक जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों पर उसका उपयोग किया। आधुनिक वित्तीय संस्थाओं में भी विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक प्रबंधन के लिए आंकड़ा विश्लेषण आधारित सहायता प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

ग्राहक को वित्तीय उत्पाद या सेवाओं के लिए निवेदनः वित्तीय संस्थान आंकड़ों के आधार पर बने हुए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग कर उपभोक्ता समूह को परिभाषित करते है। उपयोगी उपभोक्ता समूह को परिभाषित करने हेतु विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय मॉडल जैसे कि उपभोक्ता की आय, व्यय तथा चूक के अनुमान के किये मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आज के सूचना तकनीकी के युग में वित्तीय संस्थान विभिन्न माध्यमों जैसे कि ईमेल, डिजिटल विज्ञापन, शाखा, इत्यादि के माध्यम से ग्राहक समूहों तक पहुँचते है। वित्तीय संस्थान, उपयुक्त चैनल के चुनाव, जिससे विभिन्न उपभोक्ता समूह तक उत्पादों को निवेशित किया जाये, उसके लिए सांख्यिकीय मॉडल, जैसे कि रेकमेंडर इंजन, प्रतिक्रिया संभाव्यता मॉडल का उपयोग करते है।

अपने वर्तमान ग्राहक समूह में किस समूह को दूसरे वित्तीय उत्पाद प्रदान किये जा सकते है, उसका निर्णय भी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। उदाहरण स्वरूप वित्तीय संस्थान बचत खातों के ग्राहक समूह को क्रेडिट कार्ड या बीमा उत्पाद का निवेदन आंकड़ों पर आधारित सांख्यिकीय मॉडलों के आधार पर कर सकते है। हानि जोखिम की स्थिति में वसूली के लिए ग्राहक समूहों को परिभाषित करने तथा संग्रह संभाव्यता के अनुमान के लिए

सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग किया जाता है। वित्तीय संस्थायें, मुख्यतः खुदरा ऋण उत्पादों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के संरचित तथा असंरचित आँकड़ों का उपयोग करती है।

आधुनिक वित्तीय संस्थानों में आईएफआरएस 9 प्रदत्त नियमों के अनुरूप हानि के प्रावधान के लिए, चूक की संभावना, चूक के कारण हुई हानि तथा चूक के समय एक्सपोजर के अनुमान के लिए विभिन्न सांख्यिकीय मॉडलों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही बेसल प्रावधानों के अनुरूप नियामकीय पूँजी के अनुमान के लिए भी आंकड़ों के आधार पर विकसित किये गये मॉडलों का उपयोग करती है। आज के इस सतत तकनीकी विकास के युग में विभिन्न उद्योगों के साथ–साथ वित्तीय संस्थानों ने भी आँकड़ों पर आधारित निर्णय संरचना प्रणाली को रणनीतिक औजार के रूप में अपने उद्योगों को परिष्कृत, प्रभावी तथा लाभदायक बनाने के लिए किया है।

भारत एवं ओलंपिक्स

– उत्कर्ष सिंह, सहायक प्रबंधक

हाल ही में समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक स्वर्ण, दो रजत एवं चार कांस्य पदकों के साथ भारत पदक तालिका में अड़तालीसवें स्थान पर था। चालीस सालों में यह हमारा सर्वश्रेष्ठ स्थान था। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण ने यह दिखा दिया कि ट्रैक एंड फील्ड की प्रतिस्पर्धा में भी हम हर किसी को पीछे छोड़ सकते हैं, तथा पुरुषों की हॉकी टीम के कांस्य ने यह साबित कर दिया कि सतत परिश्रम का फल मीठा होता है। इसके अलावा गोल्फ में अदिति अशोक, हॉकी में महिलाओं की टीम तथा डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर ने अपने–अपने क्षेत्र में सभी आकांक्षाओं से परे मुकाम हासिल किए। हमारे इन नायक तथा नायिकाओं की जितनी भी तारीफ की जाए, वह कम है।

परंतु यदि पदक तालिका को देखा जाए तो एक सवाल सामने आता है – 140 करोड़ लोगों का यह देश केवल 7 पदक क्यों जीत पा रहा है? पदक तालिका में सातवें स्थान पर नीदरलैंड्स है, जिसकी आबादी भारत की आबादी की केवल 1% है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद नीदरलैंड्स के पास 10 स्वर्ण, 12 रजत तथा 14 कांस्य पदक है। यदि ऐसे देशों को छोड़ दें जिन्होंने एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, तो पदक प्रति आबादी के मामले में भारत दुनिया का अंतिम देश है। इन आंकड़ों से वही पुराना सवाल दोबारा उभर कर आता है – इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हम और ओलंपिक मेडल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं?

यह एक बहुमुखी समस्या है, जिसके कई कारण है। परंतु इन कारणों को संक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है – भारत में आज भी खेलकूद को यथोचित महत्व नहीं दिया जाता। यद्यपि आजकल स्पोर्ट्स को बच्चों के जीवन का एक अहम हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत के छोटे शहरों एवं मध्यवर्गीय परिवारों में खेलकूद को आज भी पढ़ाई से नीचे ही समझा जाता है। खेलकूद का महत्व बताने वाले हर मुहावरे और उक्ति के बावजूद बचपन में स्पोर्ट्स

को आज तक एक पेशे का दर्जा नहीं दिया गया है। जहाँ चीन और अमेरिका में 10 साल से छोटे बच्चों को भी ओलंपिक चैंपियन बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, वहां भारत में आधारभूत स्तर पर प्रतिभा पहचानने के लिए बहुत ही कम साधन है।

हमारी असफलता का दूसरा कारण है हमारा कुछ ही प्रतिस्पर्धाओं पर केंद्रित होना। 'भारत में बस क्रिकेट को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है' – यह वाक्य घिसापिटा होने के बावजूद भी सच है। तैराकी, साइक्लिंग तथा डाइविंग में हम ओलंपिक्स के फाइनल्स में पहुंच तक नहीं पाए हैं। इसका सबसे सीधा उदाहरण इस साल का वीमेंस गोल्फ कंपटीशन ही है – हालांकि अदिति अशोक गोल्फ में चारों दिन प्रथम तीन खिलाड़ियों में बनी रहीं, कई लोगों का ध्यान उनके उम्दा कोशिश पर आखरी दिन ही गया। विंटर ओलंपिक्स में तो हम अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। पैरालंपिक्स एवं विंटर पैरालिम्पिक्स में भी अपना ऐसा ही औसत प्रदर्शन रहा है। यदि हम शुरुआत से ही सभी प्रतिस्पर्धाओं की तरफ समान ध्यान दें, तो हमारे और पदकों के साथ लौटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

तीसरा कारण, जिसे एक छुपा हुआ कारण भी कहा जा सकता है, वह है हमारी मानसिकता। यही कारण है कि भारतीय खिलाड़ी केवल ओलंपिक्स में ही नहीं, कई अन्य प्रतिस्पर्धा में भी अंतिम क्षणों में अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास

नहीं कर पाते। एक खेल पत्रकार ने यही संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया तंग – "यदि किसी एथलीट से बार–बार बोला जाए कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तो एक अमेरिकी एथलीट यही सोचते हुए स्टेडियम में जाएगा कि मुझे आज अपनी सबसे अच्छी कोशिश करनी है। दूसरी तरफ, एक भारतीय एथलीट यह सोचेगा कि मैं आज कोई गलती ना कर दूं।" अतः हमारे प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारी मानसिकता पर भी रहता है।

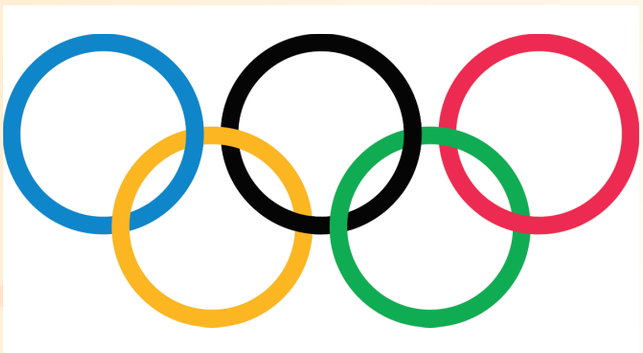

हमारी असफलता का एक अन्य कारण है मूलभूत संरचना की कमी। हमारे कई शहरों और गांव में बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्थित सुविधाएं ही नहीं है। हालांकि यह शिकायत काफी पुरानी है, तथा हर बड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद यही मुद्दा उठाया जाता है, इसके बावजूद भी इसका समाधान पूर्णता नहीं हो पाया है।

ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली और कर्मठ खिलाड़ियों को ढूंढने और तराशने के लिए सरकार ने कोई कोशिश नहीं की है। खेलो इंडिया स्कीम के द्वारा हर साल स्कूल व कॉलेज के बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले प्रतिभागियों ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को श्रेय दिया है। परंतु यह सब कोशिशें अभी भी 140 करोड़ लोगों में उभरने वाली प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए काफी नही हैं। जब तक मूलभूत आधार पर भारत में खेल को शुरुआत से ही पढ़ाई के बराबर महत्व नही दिया जाएगा, जब तक हम निशानेबाज़ी के बराबर साइक्लिंग को महत्व नहीं देंगे, जब तक हम हर चार साल में बस एक बार ही अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे, तब तक हम ऐसा ही औसत प्रदर्शन करते रहेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में खेल संबंधी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। इसके साथ ही हमको भविष्य के लिए एक लक्ष्य की तरफ भी चलना होगा। उदाहरण के लिए हम यह प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि 2040 में होने वाले ओलंपिक में भारत कम से कम 10 स्वर्ण पदक जीतकर लाएगा। हमें भरोसा होना चाहिए की अंत में – हम होंगे कामयाब। तब तक, हम सबकी शुभकामनाएं भारतीय पैरालिम्पिक्स टीम के साथ हैं, जो टोक्यो में 24 अगस्त से अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को आतुर होगी।

"हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।"

– स्वामी दयानंद

"हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।"

– पुरूषोत्तम दास टंडन

विज्ञापन या मीडिया रिपोर्ट पर न ख़रीदें मकान

– नारायण सहाय, क्षेत्रीय प्रबंधक

जीवन में हर एक व्यक्ति का यही सपना होता है कि उसका अपना परिवार हो एक सपनों का घर जहाँ वह सुकून भरी जिंदगी गुजार सके। जब वह सुबह शाम थक–हार कर घर पहुंचे हो एक अपनेपन की संतुष्टि मिले। यह सिर्फ अपने स्वामित्व वाले घर पर नसीब होता है, किराये या सरकारी आवास पर नहीं।

अपना घर सभी का सपना होता है। इसके लिए लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लगाने को तैयार रहते हैं। सामान्यतः घर खरीदने के लिए लोग किसी परिचित या प्रॉपर्टी डीलर की मदद लेते हैं लेकिन अब विज्ञापन, मीडिया रिपोर्ट या इंटरनेट के जरिये भी इससे जुड़ी जानकारी जुटाने में काफी तेजी आयी है। इससे उपभोक्ताओं का काम काफी आसान हो गया है। प्रायः हर खरीददार विज्ञापन आदि देखकर नीचे दर्शाई गयी वेबसाइट पर जाकर इंटरनेट की मदद से सारी जानकारियां जुटाता है और तब घर खरीदने का मन बना लेता है।

कीमतों की तुलना – घर खरीदने के लिए उपभोक्ता विज्ञापन या ऑनलाइन जो जानकारी जुटाते हैं उसमें सम्बंधित संपत्ति की तुलनात्मक जानकारी पहली पसंद है। वहां मिलने वाली सुविधाएं स्कूल और अस्पताल की दूरी, रेलवे एवं बस, स्टेशन, मेट्रो रेल, ऑफिस या हवाई अड्डे से आने–जाने की सुविधा की भी पड़ताल करते हैं।

सभी विकल्प देखें – मौजूदा समय में घर खरीदने के लिए विज्ञापन या

इंटरनेट से जानकारी जुटाने के बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। इसके लिए सामान्यतः बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी की वेबसाइट से, ऑनलाइन ब्रोकर और विशेष तौर पर संपत्ति से जुड़ी वेबसाइट के जरिये ही उपभोक्ता जानकारी जुटाते हैं।

हालांकि, कई बार इन माध्यमों पर दी गयी जानकारी अधूरी और पुरानी होती

या बढ़ाचढ़ा कर बनाई होती है। अन्य उत्पादों के मामले में उपभोक्ता आसानी से उसके बारे में ऑनलाइन पड़ताल कर लेते हैं लेकिन किसी निर्माणाधीन परियोजना की जानकारी रियल एस्टेट कंपनी वेबसाइट से जुटाने की सुविधा नहीं है। कई बार विज्ञापनों या इंटरनेट पर गोल–मोल जानकारी दी गयी होती है जैसे कि एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी, बस अड्डा से 10 मिनट की दूरी तथा साईं मंदिर या अमुक चौराहे से 15 मिनट की दूरी पर। जबकि वास्तविकता में यह दूरियां 50 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की हो सकती है।

कंपनियों की जानकारी कितनी सही – विशेषज्ञों के मुताबिक अपने बारे में सभी जानकारी देने वाले ऑनलाइन ब्रोकर भी घर की कीमतों की तुलना में निचले पायदान पर रहे। आज के दौर में ऑनलाइन ब्रोकर को छोटे ब्रोकर से कड़ी टक्कर मिल रही है जिनकी बाजार में 99 फ़ीसदी हिस्सेदारी है। हालाँकि, संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी देने वाली कंपनियों ने बहुत हद तक बेहतर जानकारियां दी हैं लेकिन कुछ कंपनियों को गलत जानकारी देने की वजह से उपभोक्ताओं की शिकायत पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। रियल एस्टेट के एक विशेषज्ञ का कहना है कि यदि संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी देने वाली कंपनियों को राजस्व और ताजा आंकड़ों की सुविधा मिल जाए तो वह ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकती हैं। कई बार उनकी वेबसाइट पर पुरानी जानकारी भी रह जाती है साथ ही उन्हें हटाने पर विकल्प की संख्या घटने का भी खतरा

रहता है। मीडिया की विभिन्न विज्ञापनों में भी इसी प्रकार की जानकारियां होती हैं और फोटो एवं ग्राफिक्स बहुत हद तक वास्तविकता से दूर होते हैं।

आज कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में इंटरनेट एवं एप जैसे सॉफ्टवेयरों की आसान पहुँच के कारण रियल एस्टेट में ऑनलाइन जानकारी देने वाली कंपनियों के सामने कई चुनौतियों के बाद भी इसका भविष्य बेहतर नजर आता है। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि अब कई कंपनियों ने कई एजेंट रखें हैं जो सम्बंधित सम्पत्तियों की तस्वीरों के साथ उसकी पूरी जानकारी जुटाते हैं और इसके बाद उन्हें वेबसाइट पर डाला जाता है। सरकार रियल एस्टेट में लेन–देन को पारदर्शी बनाना चाहती है जिसमें ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल संसद में पास कराने की तैयारी है। इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्थान 'सरसाई' भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री एक अच्छा प्रयास है जहाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त लेन–देन वाली सम्पत्तियों का पंजीयन किया जाता है। इससे धोखाधड़ी एवं पुनः बिक्री में रोक लगाने में मदद मिलती है।

दस्तावेज की जांच अवश्य करें – घर खरीदने के पहले सभी प्रकार के दस्तावेजों की पूरी पड़ताल जरुरी है। बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी ने उसे नियमों के मुताबिक़ बनाया है या नहीं, आवासीय परियोजना में किसी तरह का बदलाव तो नहीं हुआ और इस तरह का अन्य बदलाव तो नहीं हुआ और इस तरह के अन्य जानकारियों की जांच जरूर करें। यह काम बहुत मुश्किल नहीं है। इसे एक वकील के द्वारा भी कराया जा सकता है। जहाँ वह यह भी जानकारी जुटाएगा कि कंपनी ने उस राज्य की नीतियों के अनुसार प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया है या नहीं। यह भी जानकारी जुटानी चाहिए कि कार्य शुरू होने से पहले भू–उपयोग सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किये हैं या नहीं।

बिल्डर से मांगे फ्लैट के कागजात – आप घर खरीदने के पहले बिल्डर से परियोजना से जुड़े दस्तावेज मांग सकते हैं। यदि बिल्डर उसे दिखाने से मना करें, टाल–मटोल करे या किसी प्रकार की बहानेबाजी करे तो इसे खतरे का शुरूआती संकेत मानना चाहिए। इसके बाद सम्बंधित परियोजना से दस्तावेज नगर निगम रजिस्ट्रार के ऑफिस से मांग सकते हैं। यदि वहां के अधिकारी आपको दस्तावेज न दिखाकर केवल मौखिक आश्वासन दें या प्रोजेक्ट की तारीफ करें तो विश्वास न करें। यदि वहां के कर्मचारी दस्तावेज दिखाने से मना करें तो इसे खतरे का संकेत मानना चाहिए।

ज्यादा सस्ते की लालच में न रहें – यदि कोई घर या फ्लैट बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर मिल रहा है तो तुरंत विश्वास न करें और खरीदने के लिए एडवांस वगैरा न दें। पूरी जांच–पड़ताल करें। प्रलोभन या भारी दामों में कमी कर रहा है तो इसे खतरे का संकेत समझना चाहिए। कई बिल्डर को अवैध परियोजनाओं के लिए खरीददारों की जरुरत होती है जिसे वह बेहद कम कीमत पर भी बेचने को तैयार रहते हैं। ऐसे बिल्डर जल्दी से जल्दी फ्लैट बनाकर खिसक जाते हैं कई बार यह भी कहते हैं कि पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी। ध्यान रहे कई प्रदेशों में बने हुए फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाती है भले ही उसकी जमीन अवैध हो। अतः इसमें भी सावधानी बरतें।

अवैध संपत्ति पर बैंक नहीं देते कर्ज – बैंक घर के लिए कर्ज (होम लोन) देने के पहले सम्बंधित संपत्ति की पूरी पड़ताल करते हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी या संपत्ति अवैध होने पर बैंक कर्ज देने से इंकार कर देते हैं। यदि आप घर खरीदने की तैयारी में हैं तो अपने बैंक से भी उसके दस्तावेज की जांच करने में मदद ले सकते हैं। लेकिन कई बार यदि फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है, भले ही भूमि अनधिकृत हो, तो कुछ बैंक अधिक ब्याज दर पर या फिर वहां का प्रभारी घूस आदि लेकर ऋण दे देते हैं। इसलिए वकील की मदद से गहन जांच पड़ताल बहुत आवश्यक है।

छोटा बदलाव भी बनेगा मुसीबत – किसी घर से जुड़ी परियोजना (फ्लैट) की मंजूरी प्रति वर्गफुट के हिसाब से मिलती है और इसमें छोटे से बदलाव की भी इजाजत नहीं होती है। इसे फ्लोर एरिया रेशियो से आँका जाता है। परियोजना में बने सभी फ्लैट की जगह से प्लाट से भाग देने पर जो शेष बचता है वह फ्लोर एरिया रेशियो होता है। इस बारे में वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पूरी जांच – परख करें और उनके द्वारा भवन निर्माण के कंप्लीशन का प्रमाण पत्र भी देखें। यह भी पता करें कि उस भवन को पहले से कोई नोटिस आदि तो जारी नहीं हुआ है इसके साथ ही यह भी देखें कि उस फ्लैट में बकाये बिजली एवं पानी के बिल अप टू डेट तक जमा किये जा चुकें हों। यदि उस पर पहले के बकाये, जो लाखों रुपये में हो सकते हैं, शेष हैं तो बाद में वहां के सभी फ्लैट धारकों को या फिर एक विशेष तिथि के बाद खरीदने वालो को चुकाने पड़ सकते है। यदि बकाये चुकता नहीं किये जाते तो सम्बंधित कम्पनियाँ आपूर्ति बंद कर सकती है। इसलिए मकान खरीदने से पहले विज्ञापन/इंटरनेट आदि से जुटाई जानकारी के साथ–साथ सम्बंधित कार्यालयों स्टेट/भू–राजस्व विभागों, विद्युत एवं जल आपूर्ति विभागों से सभी प्रकार की जांच पड़ताल अवश्य की जानी चाहिए ताकि आप को अपने लिए गए निर्णय पर खुशी हो न कि परेशानी। ऐसा करने से आपके घर खरीदने का सपना सही मायनों में साकार बनकर सुखानुभूति कराएगा।

समय से पहले संकट पर नियंत्रण या संकट की प्रतीक्षा न करें

– विष्णु गुप्त अग्रवाल, सहायक प्रबंधक

इससे पहले भी विश्व को आर्थिक क्षेत्र में कई संकटों का सामना करना पढ़ा था जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक एवं आईएमएफ की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में, जब 1990 में देश को आर्थिक संकट का सामना करना पढ़ा, तब उस संकट ने हमें भारत में एलपीजी में सुधार करने का अवसर दिया।

देशों को लेहमन्स ब्रदर की 2008 के वैश्विक मंदी ने देश की विशिष्ट नीतियों को अपनाने का एहसास कराया। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में बेसल नॉर्म्स का आगमन हुआ, जो जल्द ही पूरे विश्व के लिए विनियमन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। हमने अपने देश को विभिन्न वैश्विक प्रभावों/उतार–चढ़ाव से बचाने के लिए बार–बार उन देशों के संरक्षणवादी उपायों पर ध्यान दिया है।

संकट न केवल सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में समाज को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि शांति जैसे– अल्पसंख्यकों के दृढ़ संकल्प और शोषण के कारण आरक्षण और पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण, के लिए कानूनों को लागू करने का अवसर भी प्रदान करता है।

1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए हमले ने भारत को अपने पड़ोसी देशों से सुरक्षा संबंधी चिंताओं का एहसास कराया है परिणाम, भारत की अपनी विदेश नीति में परिवर्तन, देश के रक्षा क्षेत्र में तेजी से कार्य करते हुए, हथियारों और गोला–बारूद का भारी आयात, जो स्वदेशी सुरक्षा के बजाय भारत को अन्य देशों से प्राप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

वर्तमान संकट कोविड–19 एक वैश्विक घटना है, जिसने दुनिया और मानवता को रोक दिया है। इसने भू–राजनीतिक तनाव पैदा किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और अमेरिका के बीच पहले ही आरोप लगाने का खेल शुरू हो चुका है। भारत ने लद्दाख में चीन के कब्जा करने के विरूद्ध जो सख्त कदम उठाया है उससे भारत के संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ और अधिक मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने बहुत अधिक खामियों को उजागर किया। देश जिनका प्रदर्शन विश्व में सबसे अच्छा था, वह बिखर गये है और उनमें सुधार की आवश्यकता है। कई फार्मा कंपनियां इसका समाधान निकालने के लिए सामने आई है। इससे पहले, हम लगातार एमईआरएस, एसएआरएस और अन्य घातक बीमारियों के आने के बाद भी वैक्सीन बनाने में असफल रहे हैं। भारत अभी भी गुणवत्ता स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में बहुत पीछे है।

भारत 40 मिलियन अविकसित और 17 मिलियन कमज़ोर बच्चों के लिए घर है, इसके बावजूद हमने आजादी के बाद सूखा, भूखमरी और बिहार में बाढ़, मुंबई में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम देखा है जो कि कोई विचित्र घटना नहीं है लेकिन हमारी शहरी योजना में इन सब वर्षों में कुछ अधिक बदलाव नहीं आया है। हाल ही में विशाखापट्नम गैस का रिसाव एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हमने भोपाल गैस त्रासदी के बाद भी कुछ नहीं सीखा है।

किसी संकट को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए, सरकार को संकट से बचने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने, रोकथाम की योजना बनाने और परिवर्तनों को समायोजित करने की आवश्यकता है। सामान्य दृष्टिकोण जो अब तक देखा गया है, वह अधिक प्रभावशाली नहीं हैं और संरचनात्मक सुधारों की कमी है।

वर्तमान जल संकट को ध्यान में रखते हुए, सरकार जब नदी की सफाई का कार्यक्रम का विकल्प चुनती है, तो उसका ध्यान आम तौर पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर होता है, लेकिन वह इस प्रदूषण के स्रोत को हल करने या जांच करने में विफल रहती है। हमें यह जानने की जरूरत है कि कुछ आश्चर्यजनक चीजों से लाभ होता हैं, वे तनाव, संकट, अस्थिरता, जोखिम और अनिश्चितता के संपर्क में आने पर बढ़ती हैं। एक छोटा सा तनाव हमें आय पर अधिक बचत करना सिखाता है असफलता हमें मजबूती और सफलता की ओर लेकर जाती है।

हम 'उड़ीसा' से सीख ले सकते है, जिसका अक्सर 'बिमारू' राज्य कह कर मजाक उड़ाया करते थे। 2000 के दशक में राज्य एक चक्रवात की चपेट में आ गया था और 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। तब से, राज्य अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनके उभरा है। राज्य प्रशासन ने हाल ही में फैनी चक्रवात के दौरान 1 मिलियन लोगों को सुरक्षित निकाला है।

राष्ट्रीय स्तर पर, हमें सार्वजनिक और सरकार के बीच अनुसंधान और विकास, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, अन्य राष्ट्र के साथ साझेदारी बनाने,

स्थानीय स्तर से सामुदायिक प्रयासों को पुनः व्यवस्थित और प्रोत्साहित करने, आदि में निवेश करने की आवश्यकता है।

आधुनिक समय में संकट प्रबंधन, संकट की तैयारी में निहित है, जिसमें संभावित संकट की आशंका, एक जोखिम विश्लेषण, कारण और कार्यों के माध्यम से इस तरह के संकट का कारण बनता है।

शहरी नियोजन में, हमें रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए टियर – 2 और टियर – 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देश के स्वास्थ्य ढांचे और खाद्य सुरक्षा में निवेश करना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां विश्व बाजार में चीन विरोधी विचारों के कारण एक एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। यह उचित अवसर है जब उद्योग की नीतियों के लिए एक वातावरण, बुनियादी ढाँचे भारी निवेश करके, स्वदेशी तकनीकी में युवाओं को कौशल सिखाकर दुनिया का एक विनिर्माण केंद्र बना जाए। इससे पहले, भारत ने प्रत्यक्ष रूप से कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) से सेवा क्षेत्र में प्रवेश किया है, अब समय है इस गलती को ठीक किया जाए।

व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर, समय की आवश्यकता हमारे आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और दया भाव को बढ़ाना है जो संकट को कम करने में मदद कर सकती है। कोविड – 19 जैसी महामारी में लोगों के व्यवहार में एक महीने या साल के लिए नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के रूप में स्वच्छता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें बुजुर्गों, बच्चों, साथी नागरिकों, पुलिस और चिकित्सा कर्मचारियों की देखभाल करनी चाहिए जिनमें बैंकर भी शामिल हैं, थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण के रूप में भी।

हर छोटा कार्य एक संकट में गिना जाता है, जिसमें लोगों की शक्ति शामिल है, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, "यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलाता है, तो वह किसी भी वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय चुनौती का सामना कर सकता है। निष्कर्ष यह सिखाता है कि हमें संकट के उत्पन्न होने का इंतजार नहीं करना चाहिए और एक संकट विरोधी योजना बनानी चाहिए।

"संकट और रूकावट, जब भी आते हैं, वे हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करते है।

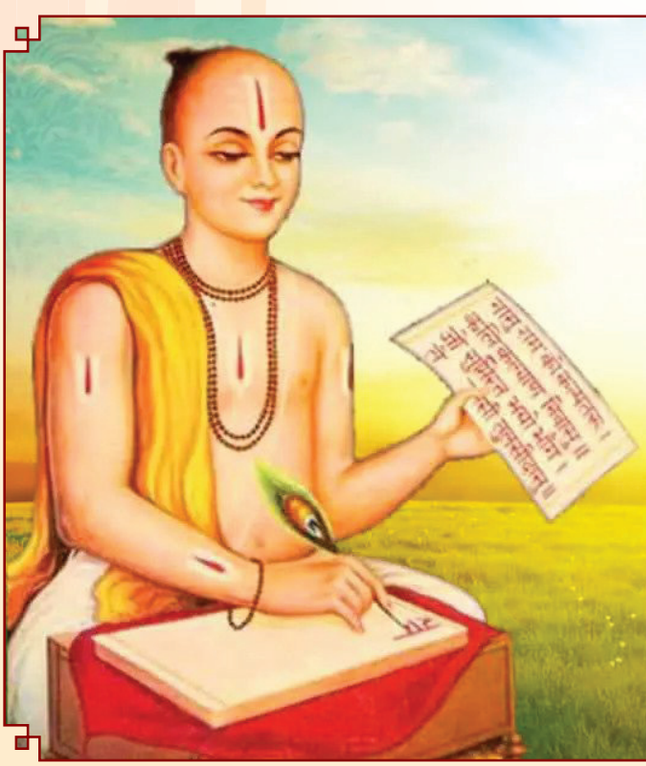

दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छोड़िये जब तक घट में प्राण।।

– तुलसीदास

(तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है व अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण हैं तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए।)

प्राकृतिक आपदा

– रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक

वर्ष 2014 में जम्मू एवं कश्मीर में आई भारी तबाही ने पुरी दुनिया को चौंका दिया। अभी यहां पर बचाव एवं राहत का कार्य पूरा भी नहीं हुआ था कि पूर्वोक्त भारत में पुनः बाढ़ ने भारी जान–माल का नुकसान किया। पिछले एक–दो–वर्षों में उत्तराखंड व हिमालय में भूस्खलन व पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं हुई हैं। इससे पहले भारत की तरह दुनिया भर के अनेक देशों में कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा आती रहती है। इनमें सबसे ज्यादा तबाही भारी वर्षा, समुद्री तूफानों, भूकंपों के कारण होती है जिसके परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल प्रलय जैसी भयानक परेशानियां खड़ी होती है। बाढ़ एवं बरसात का प्रभाव बहुत ही दूरगामी एवं व्यापक होता है इसमें सबसे ज्यादा जन–धन की हानि पहाड़ों के खिसकने अर्थात भू–स्खलन से न केवल पहाड़ी मार्ग अवरूद्ध होते हैं बल्कि नदियों का प्रवाह रूक जाता है, फलतः कृत्रिम झीलें बन जाती हैं और इनके अचानक टूटने से निचले इलाकों में बाढ़ एवं जल प्रलय की स्थितियां बन जाती है।

पूरी दुनिया भर में, खासकर सभी पहाड़ी इलाकों में भारी बरसाती तूफान, बादलों के फटने, भूकंप, बाढ़, चक्रवात और बेतरतीब मानव गतिविधियों जैसी अनेक स्थितियों और चालक प्रक्रियाओं की विस्तृत विविधता से भूस्खलन क्रिया होती है। सीआरईडी के डाटा बेस के अनुसार 1990 और 1999 के बीच भूस्खलन और हिमस्खलन की वजह से मानव हताहतों की संख्या 8658 रही है, लेकिन यह अनुमान काफी कम प्रतीत होता है। अक्सर भूस्खलन बड़े पैमाने पर होते रहे है, इनकी वजह से दुनिया भर में संपत्ति, पर्यावरण नीति, मरम्मत, रखरखाव के कार्यों और बचाव के उपायों में वार्षिक संचयी नुकसान दासियों अरब अमरीकी डालर का होता है भूस्खलन का आवृत्ति भीषण वर्षा और भूकंप जैसी कारक घटनाओं से प्रभावित है।

हर वर्ष भूस्खलन की वजह से दुनिया भर में 5000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो जाते हैं और 40 लाख (4 मिलियन) अमरीकी डालर का आर्थिक नुकसान होता है। महाद्वीपों में, भूस्खलन के कारण एशिया को अधिकतम क्षति होती है और एशियाई देशों में दक्षिण एशियाई देश सबसे बुरी तरह प्रभावित होते है तथा दक्षिण एशियाई देशों में भारत भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। भारत का लगभग 15 प्रतिशत (लगभग 0.49 लाख वर्ग किमी.) क्षेत्र विभिन्न स्तरों के भूस्खलन के लिए खतरा जोखिम नाजुक क्षेत्र है, जहाँ मानव जीवन, आजीविका, पशुधन, आवास स्थान, संरचनाएं, बुनियादी सुविधाएं और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन अक्सर प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान के अलावा, भूस्खलन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति, सामाजिक विघटन और सामरिक चिंता का कारण बनते हैं। भूस्खलन जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरूणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार और पुडुचेरी सहित 22 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में होते रहते हैं। हिमालय बेल्ट, नीलगिरी, पश्चमी और पूर्वी घाट सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। भूस्खलन एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है जो देश में मानव और वित्तीय नुकसान का कारण बनता है। अनुमान है कि हर वर्ष औसतन लगभग 500 जानें जाती हैं और लगभग 300 करोड़ रूपये का नुकसान होता है।

भूस्खलन हमेशा केवल अकेले ही नहीं होते, बल्कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, बिजली, मूसलाधार बारिश, जंगल की आग, बांध/झील आदि टूटने जैसी अन्य आपदाओं के साथ या इनके परिणाम के रूप में भी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में भूस्खलन के नुकसान को सामान्य तौर पर प्राथमिक आपदा के भीतर शामिल कर लिया जाता है और इसलिए, इन्हे अलग से नहीं दर्शाया जाता। इस प्रकार, भूस्खलन नुकसान के अधिकांश अधिसूचित अनुमान पूरे समाज पर भूस्खलन के वास्तविक प्रभावों की तुलना में काफी कम पाए जाते है।

बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और अस्थिर ढलानों पर विकासात्मक गतिविधियों के संदर्भ में मानव हस्तक्षेप के साथ, भूस्खलन मानव जीवन, भवनों, संरचनाओं, बुनियादी संरचनाओं और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बदलता पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, हिमनदों के तेजी से पिघलने, अनिश्चित और असमान बारिश, अत्यधिक तापमान की स्थिति आदि भी अप्रत्याशित क्षेत्रों में इसके खतरे का विस्तार कर रहे हैं। दोषपूर्ण प्रबंधन के साथ–साथ बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने भी देश के कई क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे में वृद्धि की है। असुरक्षित स्थानों में विस्तार, अवैज्ञानिक खनन, सड़कों, असुरक्षित बांधों का निर्माण और नदी प्रशिक्षण के काम में प्राकृतिक विशेषताओं की अनदेखी करने से संबंधित मानव गतिविधियाँ भूस्खलन की तीव्रता में वृद्धि करने में योगदान देते हैं। बड़े पैमाने पर भूस्खलन जोखिम नक्शों के अभाव से लोग असतर्कता की हालत में, विशेष रूप से पहली बार भूस्खलन होने पर, इस आपदा के शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर एक अकेले भूस्खलन के सीमित क्षेत्र और लोगों को प्रभावित करने की वजह से, भूस्खलन

खतरों से होने वाले नुकसान के परिणाम को राष्ट्रीय महत्व की समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है और इसे राष्ट्रीय आधार पर संबोधित नहीं किया जा रहा है। भूस्खलन के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिये समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अभाव का परिणाम अक्सर अधिक कीमत पर सीखे गए महत्वपूर्ण सबक को लागू करने में राज्यों और स्थानीय सरकारी एजेंसियों की कम क्षमता के रूप में दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप, एक राष्ट्रीय रणनीति की अत्यावश्यकता को महसूस किया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के माध्यम से भूस्खलन एवं हिमस्खलन पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिये काम किया गया।

राष्ट्रीय भूस्खलन की समस्या से जुड़े मुद्दों की विविधता की जानकारी के लिये क्षेत्रीय विचार और संस्थागत क्षमता की महत्वपूर्ण विविधताओं एवं स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर जवाबदेही दोनों से उत्पन्न, हितधारकों की एक विस्तृत विविधता से प्राप्त जानकारी आवश्यक है। भूस्खलन मूल्यांकन, जांच, मानचित्र और प्रबंधन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने का भूस्खलन के नुकसान को कम करने में उल्लेखनीय प्रभाव होगा। आपदाओं से निपटने का केंद्रीय संस्थान, एनआईडीएम, देश भर में आवश्यक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रमुख मंच बनाने तथा ऐसे संसाध्य व्यक्तियों/विशेषज्ञों (जो इसका एक नेटवर्क बनाने के लिये ऐसी परियोजानओं को शुरू करने की योजना बना रहा है, गतिविधि में योगदान दे सकते है)। यह प्रभावी निर्णय लेने और पहाड़ी इलाकों में विभिन्न विकास और नियामक गतिविधियों के लिए सूक्ष्म स्तर के मानचित्र की योजना बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत सरकार के इन संस्थानों का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों और तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन आपदा मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित दिशाओं में काम करना है;

भूस्खलन जोखिम विश्लेषण तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये राज्य और स्थानीय स्तर पर नुकसान में कमी के प्रयासों को निर्देशित करना।

विधियों के मूल्यांकन, मानकों की स्थापना और भूस्खलन खतरा नक्शे और आकलन के लिए प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों को उन्नत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

भूस्खलन खतरों के शमन के लिए उपकरण उपलब्ध कराना और निगरानी तकनीकों एवं भूस्खलन प्रक्रिया की यांत्रिकी के पहलुओं पर बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना।

शिक्षा, प्रशिक्षण और भूस्खलन खतरों की जागरुकता में सुधार और निर्णायकों, पेशेवरों और आम जनता के लिए शमन विकल्प।

अंतःविषय और पारक्षेत्रीय भागीदारी दृष्टिकोण को शामिल कर एक बहुजोखिम परिप्रेक्ष्य में विकास और पर्यावरण परिवर्तन के साथ भूस्खलन जोखिम प्रबंधन का एकीकरण करना एवं उसे मुख्यधारा में लाना।

कार्यान्वयन और प्रबंधन की योजनाएं बनाना जिन्हें एक प्रभावी राष्ट्रीय रणनीति कि लिए व्यावहारिक आधार प्रदान कर स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सके।

भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच विभिन्न स्तरों पर वकालत, नीतियों, दिशा निर्देशों और योजना का समर्थन।

राज्यों, जिलों और स्थानीय स्तर की सरकारों और गैरसरकारी संगठनों के साथ–साथ पेशेवर और अन्य हितधारकों के साथ व्यावहारिक साझेदारी विकसित करना।

भारत में भूस्खलन परिदृश्य

भूस्खलन हमारी बस्तियों और बुनियादी ढांचों, खेतों और मैदानों, सीमा सड़कों और रेल पटरियों के बड़े हिस्सों, पनबिजली, पानी की आपूर्ति और संचरण, लाइन परियोजनाओं, हवाई रोपवे, खुली खदानों, सुरंगों, ऐतिहासिक इमारतों और पूजा/पवित्र स्थानों, तीर्थ मार्गों और पर्यटन स्थलों के लिए खतरा है। सार्वजनिक जागरुकता लाने और भूमि उपयोग की सावधानी पूर्ण योजना के द्वारा सुरक्षा की संस्कृति के प्रसार, समय पर और उचित इंजीनियरिंग हस्तक्षेप, ढलान और संबंधित उपयोगिताओं के सतर्कतापूर्ण रखरखाव, पूर्व चेतावनी, जन जागरुकता और तैयारियों के माध्यम से भूस्खलन के जोखिम को और कम किया जा सकता है। आपदाओं के प्रबंधन और प्रभावों को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की संस्कृति विकसित करने की सख्त जरुरत है।

पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले में कर्सियांग नगर के आसपास सुरम्य पहाड़ी ढलानों पर स्थित चाय बागानों में जो भूस्खलन हुआ वह एशिया में होने वाला सबसे बड़ा भूस्खलन था। जनसंख्या के तेजी से बढ़ते दबाव में मानव बस्तियों, सड़कों, बांधों, सुरंगों जलाशयों, टावरों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं। आज हिमालय क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क की लंबाई 50,000 कि. मी. से अधिक है। हिमालय क्षेत्र में अनेक बांध बनाये गये हैं। पहाड़ियों में अकेले गंगा और उसकी सहायक नदियों पर दो दर्जन से अधिक बांध परियोजनाएं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक सुरंगें तथा माइक्रोवेव, टीवी, प्रसारण और संचार टावर भी हैं। उदाहरण के लिए, उत्खनन और खनन तथा वनों की कटाई दून घाटी की वृक्षरहित क्षेत्र बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इससे झिरौली (अल्मोड़ा) और चांडक पिथौरागढ़) में ढलानों और उनसे जुड़े पर्यावरण को भारी क्षति हुई है।

जम्मू, उत्तराखंड हिमालय में ऋषिकेश–बद्रीनाथ तीर्थयात्रा मार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच–1ए और एनएच–1बी पर, हिमालय में दार्जीलिंग और सिक्किम के कई क्षेत्रों, उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में दीमापुर–इम्फाल और शिलांग–सिलचर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होते रहते हैं। ये विनाशकारी रहते हैं, और भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं और एक लंबे समय से इस क्षेत्र के सामाजिक ताने–बाने को प्रभावित किया है।

भूस्खलन आपदाओं के परिणाम

भूस्खलन आपदाओं का समाज और पर्यावरण पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम होता है। पहले वर्ग में स्थल पर होने वाले जीवन और संपत्ति के नुकसान, दूसरे में कृषि योग्य भूमि की क्षति और कटाव तथा मिट्टी के क्षय के संदर्भ में पर्यावरण के परिदृश्य में बदलाव के स्थायी परिणाम को, जो जनसंख्या और प्रतिष्ठानों के स्थानांतरण का कारण बनता है शामिल किया जा सकता है। किसी भी अन्य आपदा की तरह समाज में सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करते हैं सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसके पास आजीविका का अल्प स्त्रोत होता है, जो एक खतरे की वजह से समाप्त हो चुका होता है और ये भोजन और आश्रय रहित हो जाता है। इसके अलावा, घायलों और हताहतों की संख्या, प्रभावित परिवारों के संकट को और बढ़ा कर देती है। सबसे बड़ा नुकसान व्यक्तियों की संपत्ति का और सरकार के लिए ऐतिहसिक संरचनाओं के क्षति/विनाश के रूप में होता है।

देश के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में और विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्र में अकसर बरसात के मौसम में भूस्खलन से अवरोधों के कारण, एक साथ कई दिनों के लिए यातायात का रुकना, भूस्खलन प्रवण पहाड़ी इलाकों के गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अकथनीय परेशानी लाता है। भूस्खलन जलाशयों में गाद की भारी राशि पनबिजली और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की प्रभावी आयु और क्षमता में भी कमी लाता है। भूस्खलन बांध बड़ी धाराओं वाले क्षेत्रों में बाढ़ लाते हैं। जब यह बांध टूटता है, यह बहाव के क्षेत्रों में बाढ़ और बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बनता है। इसके अलावा भूस्खलन मलबे से सामान्य धारा प्रवाह में रुकावटों और विचलन की वजह से बाढ़ या स्थानीय कटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। भूस्खलन बाढ़ और/या जलाशयों में पानी की क्षमता को भी कम करता है जिसके परिणामस्वरूप बांधों के ऊपर से पानी के बहाव की स्थिति पैदा कर सकता है, उदाहरण के लिए गोहाना और परेचु झील का फटना।

भारत में भूस्खलन जोखिम प्रबंधन

अब तक भारत में भूस्खलन खतरा प्रबंधन स्थान विशिष्ट समस्याओं और मलबे को हटाने और उन्हें ढलान पर या नीचे नदी में निष्पादन के तत्काल उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के तदर्थ समाधान तक सीमित था। वर्तमान प्रशिक्षण का उद्देश्य एक संस्थागत तंत्र के माध्यम से भूस्खलन खतरे का प्रबंधन और बाद में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण द्वारा उनका अनुसरण करना है, जिसमें जोखिम, अरक्षितता और खतरें के आँकलन के तरीके सहित भूस्खलन समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं और उपचार शामिल है।

भूस्खलन खतरा प्रबंधन में भूस्खलन से उत्पन्न खतरे को कम करने या उससे बचने के उपाय शमिल हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारी तंत्र द्वारा निभाई जाती है। एक बार जब इस निकाय को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर भूस्खलन घटना की संभावना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो यह उस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को संभावित खतरों के बारे में सचेत करने और जमीन मालिकों और इमारतों के दखलकारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए कदम उठाने की दिशा में कार्य करता है। इसके अलावा, इन उच्च जोखिम क्षेत्रों में आगे विकास से बचा जाना चाहिए। क्षेत्र में भूमि की उच्च कीमत और जनता के उदासीन रवैये से हर भूस्खलन खतरा प्रवण क्षेत्र में शमन रणनीतियां संभव नहीं हो पाती हैं। सड़क निर्माण और रखरखाव एजेंसियों द्वारा भी उपचार के उपायों को लागू कर जोखिम को कम करने के प्रयास किए गए है। तथापि, किसी आपदा के आक्रमण से पहले उपलब्ध जानकारी का प्रसार करने की पूर्व कार्रवाई की जरूरत है और सभी राज्यों, विशेष रूप से नियमित रूप से बहखतरों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जाना चाहिए।

अच्छे भूस्खलन प्रबंधन–पालन के लाभ

सच तो यह है कि भूस्खलन के लिए नाजुक क्षेत्रों में मानव बस्तियों को नहीं बसाया जाना चाहिये। जिन पर्वतीय क्षेत्रों में आवास बने हों या बनाए जाने हों, उन क्षेत्रों में भारी मात्रा में वृक्षा रोपण किया जाना चाहिए। पर्वतीय इलाकों में बनाए जाने वाले मकान/आवास पहाड़ी ढलाव, जल बहाव को ध्यान में रखते हुए स्टील की छड़ों से युक्त मजबूत पिलर के साथ नींव डालकर बसाया जाना चाहिए। इन बस्तियों में पानी एवं कीचड़ व मिट्टी के बहाव को पर्याप्त जगह दी जानी चाहिये। यदि हम आवास बनाते समय निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, विन्यास स्वरूप एवं स्थानीय भूमि की बनावट आदि को ध्यान में रखकर आवास निर्माण करें तो कुछ हद तक ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान एवं जानमाल को बचा सकते हैं।

किफायती किराया आवास परिसर

– आशीष जैन, क्षेत्रीय प्रबंधक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs MoHUA) द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना– शहरी' (PMAY&U) के अंतर्गत एक उप–योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसर (Affordable Rental Housing Complexes-ARHC) अर्थात 'कम किराये वाले आवासीय परिसरों' के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना के तहत वर्तमान में खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित आवासीय परिसरों को 25 वर्षों के समझौतों के माध्यम से एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज' (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) अर्थात किफायती किराये के आवासीय परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।
- इन सरकारी परिसरों की मरम्मत, पानी, निकासी/सेप्टेज, स्वच्छता, सड़क इत्यादि आधारभूत ढाँचें से जुड़ी कमियों को दूर करके इन्हें रहने लायक बनाया जाएगा।
- राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इन आवासीय परिसरों का चयन करना होगा।
- योजना के शुरुआती चरण में लगभग 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा।
- तकनीकी नवाचार अनुदान के रूप में इस योजना पर 600 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च होने का अनुमान है।

लाभान्वित समूह:

- इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, अतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, घरेलू/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश लोग, कामगार, विद्यार्थी आदि लक्षित समूह को शामिल किया गया है जो बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से आते हैं।

पृष्ठभूमि:

- COVID–19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में बड़े स्तर पर कामगारों/शहरी गरीबों का पलायन देखने को मिला है, जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरी क्षेत्रों में आए थे।
- सामान्यता ये प्रवासी किराया बचाने के लिए झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक/अनाधिकृत कॉलोनियों या अल्प विकसित शहरी क्षेत्रों में रहते है।
- ये लोग कार्यस्थलों पर जाने के लिए अपना काफी समय सड़कों पर चलकर/साइकिल चलाकर बिताते है और खर्च बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते रहे हैं।
- इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 14 मई, 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप–योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये वाले आवासीय परिसरों (ARHC) योजना की शुरूआत की गई।

किफायती किराया आवास योजना में आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड:– इस योजना का लाभ लेने वाले सभी प्रवासी मजदूरों एवं शहरी गरीब लोगों को आवदेन के समय अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड की आवश्यकता हो सकती है।

आय प्रमाण पत्र:– इस योजना में चुकी मध्यम आय समूह के लोगों को शामिल किया गया है, इसलिए उन्हें अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ सकता है।

बीपीएल कार्ड:– इस योजना में आवेदन फॉर्म भरते समय लाभार्थियों से उनका गरीबी रेखा से नीचे आने का बीपीएल कार्ड भी फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए कहा जा सकता है।

योजना का महत्व:–

- ARHC के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नजदीक सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता हो सकेगी।
- ARHC के अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ARHC द्वारा लोगों के अनावश्यक यात्रा वहन तथा प्रदूषण में कमी आएगी।
- सरकार द्वारा वित्तपोषित खाली पड़े आवासों को किफयाती उपयोग के लिए ARHC में कवर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत सरकार की खाली पड़ी जमीन पर ARHC का निर्माण करने से विकास करने की दिशाओं में निर्माण इकाइयों के लिए अनुकूल माहौल तौयार होगा।
- यह योजना 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को पूरा करेगी।

"फैसला"

श्रद्धांजलि– भीष्म साहनी (जन्मतिथि: 8 अगस्त, 1915)

उन दिनों हीरालाल और मैं अक्सर शाम को घूमने जाया करते थे। शहर की गलियाँ लाँघकर हम शहर के बाहर खेतों की ओर निकल जाते थे। हीरालाल को बातें करने का शौक था और मुझे उसकी बातें सुनने का। वह बातें करता तो लगता जैसे ज़िंदगी बोल रही है। उसके क़िस्से–कहानियों का अपना फ़लसफ़ाना रंग होता। लगता जो कुछ क़िताबों में पढ़ा है सब ग़लत है, व्यवहार की दुनिया का रास्ता ही दूसरा है। हीरालाल मुझसे उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन उसने दुनिया देखी है, बड़ा अनुभवी और पैनी नज़र का आदमी है।

उस रोज़ हम गलियाँ लाँघ चुके थे और बाग़ की लम्बी दीवार को पार कर ही रहे थे जब हीरालाल को अपने परिचय का एक आदमी मिल गया। हीरालाल उससे बग़लगीर हुआ, बड़े तपाक से उससे बतियाने लगा, मानों बहुत दिनों बाद मिल रहा हो। फिर मुझे सम्बोधन करके बोला, "आओ, मैं तुम्हारा परिचय कराऊँ. . यह शुक्ला जी हैं..."

और गदगद आवाज़ में कहने लगा, "इस शहर में चिराग़ लेकर भी ढूँढ़ने जाओ तो इन–जैसा नेक आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा ?"

शुक्ला जी के चेहरे पर विनम्रतावश हल्की–सी लाली दौड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़े और एक धीमी–सी झेंप–भरी मुस्कान उनके होंठों पर काँपने लगी।

"इतना नेकसीरत आदमी ढूँढ़े भी नहीं मिलेगा। जिस ईमानदारी से इन्होंने ज़िंदगी बिताई है मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यह चाहते तो महल खड़े कर लेते, लाखों रुपया इकट्ठा कर लेते..."

शुक्ला जी और ज्यादा झेंपने लगे। तभी मेरी नज़र उनके कपड़ों पर गई। उनका लिबास सचमुच बहुत सादा था, सस्ते से जूते, घर का धुला पाजामा, लम्बा बंद गले का कोट और खिचड़ी मूँछें। मैं उन्हें हेड क्लर्क से ज्यादा का दर्ज़ा नहीं दे सकता था।

"जतनी देर उन्होंने सरकारी नौकरी की, एक पैसे के रवादार नहीं हुए। अपना हाथ साफ़ रखा। हम दोनों एक साथ ही नौकरी करने लगे थे। यह पढ़ाई के फ़ौरन ही बाद कंपीटीशन में बैठे थे और कामयाब हो गए थे और जल्दी ही मजिस्ट्रेट बनकर फ़ीरोजपुर में नियुक्त हुए थे। मैं भी उन दिनों वहीं पर था..."

मैं प्रभावित होने लगा। शुक्ला जी अभी लजाते हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी तारीफ़ सुनकर सिकुड़ते जा रहे थे। इतनी–सी बात तो मुझे भी खटकी कि साधारण कुर्ता–पाजामा पहनने वाले लोग आम तौर पर मजिस्ट्रेट या जज नहीं होते। जज होता तो कोट–पतलून होती, दो–तीन अर्दली आसपास घूमते नज़र आते। कुर्ता–पाजामा में भी कभी कोई न्यायाधीश हो सकता है?

इस झेंप–विनम्रता–प्रशंसा में ही यह बात रह गई कि शुक्ला जी अब कहाँ रहते हैं, क्या रिटायर हो गए हैं या अभी भी सरकारी नौकरी करते हैं और उनका कुशल–क्षेम पूछकर हम लोग आगे बढ़ गए।

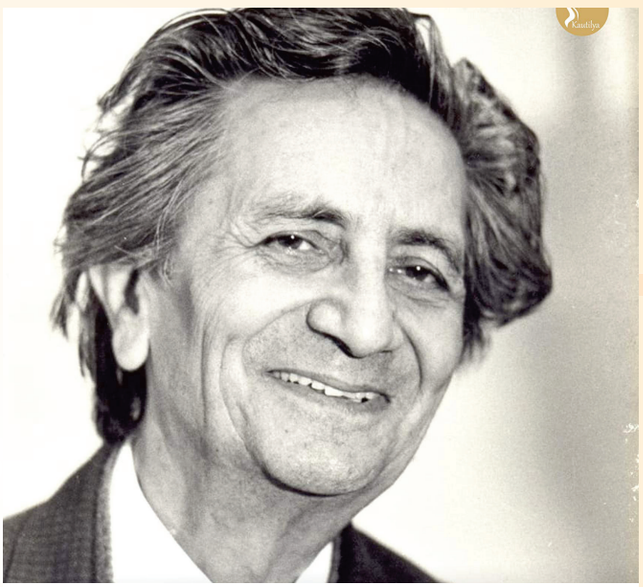

ईमानदार आदमी क्यों इतना ढीला–ढाला होता है, क्यों सकुचाता–झेंपता रहता है, यह बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई। शायद इसलिए कि यह दुनिया पैसे की है। जेब में पैसा हो तो आत्म–सम्मान की भावना भी आ जाती है, पर अगर जूते सस्ते हों और पाजामा घर का धुला हो तो दामन में ईमानदारी भरी रहने पर भी आदमी झेंपता–सकुचाता ही रहता है। शुक्ला जी ने धन कमाया होता, भले ही बेईमानी से कमया होता, तो उनका चेहरा दमकता, हाथ में अँगूठी दमकती, कपड़े घमघम करते, जूते चमचमाते, बात करने के ढंग से ही रोब झलकता।

ख़ैर, हम चल दिए। बाग़ की दीवार पीछे छूट गई। हमने पुल पार किया और शीघ्र ही प्रकृति के विशाल आँगन में पहुँच गए। सामने हरे–भरे खेत थे और दूर नीलिमा की झीनी चादर ओढ़े छोटी–छोटी पहाड़ियाँ खड़ी थीं। हमारी लम्बी सैर शुरू हो गई थी।

इस महौल मेम हीरालाल की बातों में अपने आप ही दार्शनिकता की पुट आ जाती है। एक प्रकार की तटस्थता, कुछ–कुछ वैराग्य–सा, मानो प्रकृति की विराट पृष्ठभूमि के आगे मानव–जीवन के व्यवहार को देख रहा हो।

थोड़ी देर तक तो हम चुपचाप चलते रहे, फिर हीरालाल ने अपनी बाँह मेरी बाँह

में डाल दी और धीमे से हँसने लगा।

"सरकारी नौकरी का उसूल ईमानदारी नहीं है, दफ़्तर की फ़ाइल है। सरकारी अफ़सर को दफ़्तर की फ़ाइल के मुताबिक चलना चाहिए।"

हीरालाल मानो अपने आप से बातें कर रहा था। वह कहता गया, "इस बात की उसे फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन क्या कहता है। बस, यह देखना चाहिए कि फ़ाइल क्या कहती है।"

"यह तुम क्या कह रहे हो ?" मुझे हीरालाल का तर्क बड़ा अटपटा लगा, "हर सरकारी अफ़सर का फ़र्ज़ है कि वह सच की जाँच करे, फ़ाइल में तो अण्ट–सण्ट भी लिखा रह सकता है।"

"न, न, न, फ़ाइल का सच ही उस के लिए एकमात्र सच है। उसी के अनुसार सरकारी अफ़सर को चलना चाहिए, न एक इंच इधर, न एक इंच उधर। उसे यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, यह उसका काम नहीं..."

"बेगुनाह आदमी बेशक पिसते रहें ?"

हीरालाल ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत मुझे इन्हीं शुक्ला जी का क़िस्सा सुनाने लगा। शायद इन्हीं के बारे में सोचते हुए उसने यह टिप्पणी की थी।

"जब यह आदमी जज होकर फ़ीरोजपुर में आया. तो मैं वहीं पर रहता था। यह उसकी पहली नौकरी थी। यह आदमी सचमुच इतना नेक, इतना मेहनती, इतना ईमानदार था कि तुम्हें क्या बताऊँ। सारा वक्त इसे इस बात की चिन्ता लगी रहती थी कि इसके हाथ से किसी बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए। फ़ैसला सुनाने से पहले इससे भी पूछता, उससे भी पूछता कि असलियत क्या है, दोष किसका है, गुनहगार कौन है? मुलज़िम तो मीठी नींद सो रहा होता और जज की नींद हराम हो जाती थी।...अगर मैं भूल नहीं करता तो अपनी माँ को इसने वचन भी दिया था कि वह किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देगा। ऐसी ही कोई बात उसने मुझे सुनाई भी थी।

"छोटी उम्र में सभी लोग आदर्शवादी होते हैं। वह ज़माना भी आदर्शवाद का था," मैंने जोड़ा।

पर हीरालाल कहे जा रहा था, "आधी–आधी रात तक यह मिस्लें पढ़ता और मेज़ से चिपटा रहता। उसे यही डर खाए जा रहा था कि उससे कहीं भूल न हो जाए। एक–एक केस को बड़े ध्यान से जाँचा करता था।"

फिर यों हाथ झटककर और सिर टेढ़ा करके मानो इस दुनिया में सही क्या है और ग़लत क्या है, इसका अन्दाज़ लगा पाना कभी संभव ही न हो, हीरालाल कहने लगा, "उन्हीं दिनों फ़ीरोजपुर के नज़दीक एक कस्बे में एक वारदात हो गई और केस जिल कचहरी में आया। मामूली–सा केस था। कस्बे में रात के वक्त किसी राह–जाते मुसाफ़िर को पीट दिया गया था और उसकी टाँग तोड़ दी गई थी। पुलिस ने कुछ आदमी हिरासत में ले लिए थे और मुक़दमा इन्हीं शुक्ला जी की कचहरी में पेश हुआ था। आज भी वह सारी घटना मेरी आँखों के सामने आ गई है...अब जिन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था उनमें इलाके का जैलदार और उसका जवान बेटा भी शामिल थे। पुलिस की रिपोर्ट थी कि जैलदार ने अपने लठैत भेजकर उस राहगीर को पिटवाया है। जैलदार खुद भी पीटनेवालों में शामिल था। साथ में उसका जवान बेटा और कुछ अन्य लठैत भी थे। मामला वहाँ रफ़ा–दफ़ा हो जाता अगर उस राहगीर की टाँग न टूट गई होती। मामूली मारपीट की तो पुलिस परवाह नहीं करती लेकिन इस मामले को तो पुलिस नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती थी। ख़ैर, गवाह पेश हुए, पुलिस ने भी मामले की तहक़ीक़ात की और पत यही चला कि जैलदार ने उस आदमी को पिटवाया है, और पीटनेवाले, राहगीर को अधमरा समझकर छोड़ गए थे।

"तीन महीने तक केस चलता रहा।" हीरालाल कहने लगा, "केस में कोई उलझन, कोई पेचीदगी नहीं थी, पर हमारे शुक्ल जी को चौन कहाँ? इधर जैलदार के हिरासत में लिए जाने पर, हालाँकि बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था, क़स्बे–भर में तहलका–सा मच गया था। जैलदार को तो तुम जानते हो ना। जैलदार का काम मालगुज़ारी उगाहना होता है और गाँव में उसकी बड़ी हैसियत होती है। यों वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता।

"ख़ैर ! तो जब फ़ैसला सुनाने की तारीख़ नज़दीक आई तो शुक्ला जी की नींद हराम। कहीं ग़लत आदमी को सज़ा न मिल जाए। कहीं कोई बेगुनाह मारा न जाए। उधर पुलिस तहक़ीक़ात करती रही थी, इधर शुक्ला जी ने अपनी प्राइवेट तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इससे पूछ, उससे पूछ। जिस दिन फ़ैसला सुनाया जाना था उससे एक दिन पहले शाम को यह सज्जन उस क़स्बे में जा पहुँचे और वहाँ के तहसीलदार से जा मिले। वह उनकी पुरानी जान–पहचान का था। उन्होंने उससे भी पूछा कि भाई, बताओ भाई, अंदर की बात क्या है, तुम तो क़स्बे के अंदर रहते हो, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं रहता है। अब जब तहसीलदार ने देखा कि ज़िला–कचहरी का जज चलकर उसके घर आया है, और जज का बड़ा रुतबा होता है, उसने अंदर की सही–सही बात शुक्ला जी को बता दी। शुक्ला जी को पता चल गया कि सारी कारस्तानी क़स्बे के थानेदार की है, कि सारी शरारत उसी की है। उसकी कोई पुरानी अदावत जैलदार के साथ थी और वह जैलदार से बदला लेना चाहता था। एक दिन कुछ लोगों को भिजवाकर एक राह–जाते मुसाफ़िर को उसने पिटवा दिया, उसकी टाँग तुड़वा दी और जैलदार और उसके बेटे को हिरासत मेम ले लिया। फिर एक के बाद एक झूठी गवाही। अब क़स्बे के थानेदार की मुख़ालफ़त कौन करे ? किसकी हिम्मत ? तहसीलदार ने शुक्ला जी से कहा कि मैं कुछ और तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जैलदार बेगुनाह है, उसका इस पिटाई से दूर का भी वास्ता नहीं।

"वहाँ से लौटकर शुक्ला दो–एक और जगह भी गया। जहाँ गया, वहाँ पर उसने जैलदार की तारीफ़ सुनी। जब शुक्ला जी को यक़ीन हो गया कि मुक़दमा सच–मुच झूठा है तो उसने घर लौटकर अपना पहला फ़ैसला फ़ौरन बदल दिया और दूसरे दिन अदालत में अपना नया फ़ैसला सुना दिया और जैलदार को बिना

शर्त रिहा कर दिया।

"उसी दिन वह मुझे क्लब में मिला। वह सचमुच बड़ा खुश था। उसे बहुत दिन बाद चौन नसीब हुआ था। बार–बार भगवान का शुक्र कर रहा था कि वह अन्याय करते–करते बच गया, वरना उससे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। यह तो अचानक ही मुझे सूझ गया और मैं तहसीलदार से मिलने चला गया। वरना मैंने तो अपना फ़ैसला लिख भी डाला था, उसने कहा।"

हीरालाल की बात सुनकर मैं सचमुच प्रभावित हुआ। अब मेरी नज़रों में शुक्ला सस्ते जूतों और मैलों कपड़ों में एक ईमानदार इंसान ही नहीं था बल्कि एक गुर्देवाला, ज़िंदादिल और जीवटवाला व्यक्ति था। उसे बाग़ की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकंपा–सी मेरे दिल में उठी थी वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धा से भर उठा। हमें सचमुच ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मामले की तह तक जाएँ और निर्दोष को आँच तक न आने दें।

खेतों की मेड़ों के साथ–साथ चलते हम बहुत दूर निकल आए थे। वास्तव में उस सफ़ेद बुत तक जा पहुँचे थे जहाँ से हम अक्सर दूसरे रास्ते से मुड़ने लगते।

"फिर जानते हो क्या हुआ ?" हीरालाल ने बड़ी आत्मीयता से कहा।

"कुछ भी हुआ हो हीरालाल, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि यह आदमी जीवटवाला और ईमानदार है। अपने उसूल का पक्का रहा।"

"सुनो, सुनो, एक उसूल जमीर का होता है तो दूसरा फ़ाइल का।" हीरालाल ने दानिशमंदों की तरह सिर हिलाया और बोला, ष्आगे सुनो... फ़ैसला सुनाने की देर थी कि थानेदार तो तड़प उठा। उसे तो जैसे साँप ने डस लिया हो। चला था जैलदार को नीचा दिखाने, उल्टा सारे क़स्बे में लोग उसकी लानत–मलामत करने लगे। चारों ओर थू–थू होने लगी। उसे तो उल्टे लेने–के–देने पड़ गए थे।

"पर वह भी पक्का घाघ था। उसने आव देखा न ताव, सीधा डिप्टी–कमिश्नर के पास जा पहुँचा। जहाँ डिप्टी–कमिश्नर ज़िले का हाकिम होता है, वहाँ थानेदार अपने क़स्बे का हाकिम होता है। डिप्टी–कमिश्नर से मिलते ही उसने हाथ बाँध लिए, कि हुज़ूर मेरी इस इलाके से तबदीली कर दी जाए। डिप्टी–कमिश्नर ने कारण पूछ तो बोला, हुज़ूर, इस इलाके को क़ाबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चोर–डकैत बहुत हैं, बड़े मुश्किल से काबू में रखे हुए हूँ। मगर हुज़ूर, जहाँ जिले का जज ही रिश्वत लेकर शरारती लोगों को रिहा करने लगे, वहाँ मेरी कौन सुनेगा। क़स्बे का निज़ाम चौपट हो जाएगा। और उसने अपने ढंग से सारा क़िस्सा सुनाया। डिप्टी–कमिश्नर सुनता रहा। उसके लिए यह पता लगाना कौनसा मुश्किल काम है कि किसी अफ़सर ने रिश्वत ली है या नहीं ली है, कब ली है और किससे ली है। थानेदार ने साथ में यह भी जोड़ दिया कि फ़ैसला सुनाने के एक दिन पहले जज साहब हमारे क़स्बे में भी तशरीफ़ लाए थे। डिप्टी–कमिश्नर ने बड़े सोच–विचारकर कहा कि अच्छी बात है, हम मिस्ल देखेंगे, तुम मुक़दमे की फ़ाइल मेरे पास भिजवा दो। थानेदार की बाँछें खिल गईं। वह चाहता ही यही था, उसने झट से फिर हाथ बाँध दिए, कि हुज़ूर एक और अर्ज़ है। मिस्ल पढ़ने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो इस मुक़दमे की हाईकोर्ट में अपील करने की इज़ाज़त दी जाए।

आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। डिप्टी–कमिश्नर ने मुक़दमे की मिस्ल मँगवा ली। शुरू से आख़िर तक वह मुक़दमे के काग़ज़ात देख गया, सभी गवाहियाँ देख गया, एक–एक कानूनी नुक़्ता देख गया और उसने पाया कि सचमुच फ़ैसला बदला गया है। काग़ज़ों के मुताबिक़ तो जैलदार मुजरिम निकलता था। मिस्ल पढ़ने के बाद उसे थानेदार की यह माँग जायज लगी कि हाईकोर्ट में अपील दायर करने की इज़ाज़त दी जाए। चुनाचे उसने इज़ाज़त दे दी।

"फिर क्या? शक की गुंजाइश ही नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर को भी शुक्ला की ईमानदारी पर संदेह होने लगा...ष

कहते–कहते हीरालाल चुप हो गया। धूप कब की ढल चुकी थी और चारों ओर शाम के अवसादपूर्ण साए उतरने लगे थे। हम देर तक चुपचाप चलते रहे। मुझे लगा मानो हीरालाल इस घटना के बारे में न सोचकर किसी दूसरी ही बात के बारे में सोचने लगा है।

"ऐसे चलती है व्यवहार की दुनिया," वह कहने लगा, "मामला हाईकोर्ट में पेश हुआ और हाईकोर्ट ने ज़िला–अदालत के फ़ैसले को रद्द कर दिया। जैलदार को फिर से पकड़ लिया गया और उसे तीन साल की कड़ी क़ैद की सज़ा मिल गई। हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले मे शुक्ला पर लापरवाही का दोष लगाया और उसकी न्यायप्रियता पर संदेह भी प्रकट किया।

"इस एक मुक़द्दमे से ही शुक्ला का दिल टूट गया। उसका मन ऐसा खट्टा हुआ कि उसने ज़िले से तबदीली करवाने की दरख़्वास्त दे दी और सच मानो, उस एक फ़ैसले के कारण ही वह ज़िले–भर में बदनाम भी होने लगा था। सभी कहने लगे, रिश्वत लेता है। बस, इसके बाद पाँच–छह साल तक वह उसी महकमे में घिसटता रहा, इसका प्रमोशन रुका रहा। इसीलिए कहते हैं कि सरकारी अफ़सर को फ़ाइल का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो फ़ाइल कहे, वही सच है, बाक़ी सब झूठ है..."

अँधेरा घिर आया था और हम अँधेरे में ही धीमे–धीमे शहर की ओर लौटने लगे थे। मैं समझ सकता हूँ कि शुक्ला के दिल पर क्या बीती होगी और वह कितना हतबुद्धि और परेशान रहा होगा। वह जो न्यायप्रियता का वचन अपनी माँ को देकर आया था।

"फिर ? फिर क्या हुआ ? जजी छोड़कर शुक्लाजी कहाँ गए?"

"अध्यापक बन गया, और क्या? एक कालिज में दर्शनशास्त्र पढ़ाने लगा। सिद्धांतों और आदर्शों की दुनिया में ही एक ईमानदार आदमी इत्मीनान से रह सकता है। बड़ा कामयाब अध्यापक बना। ईमानदारी का दामन इसने अभी भी नहीं छोड़ा है। इसने बहुत–सी क़िताबें भी लिखी हैं। बढ़िया से बढ़िया किताबें लिखता है, पर व्यवहार की दुनिया से दूर, बहुत दूर..."

भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन उपायों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति पर की गई घोषणाएं

– नीलाद्रि बोस, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं नेहा पंथरी, उप प्रबंधक

1. आर्थिक परिदृश्यः

1.1 वैश्विक महामारी कोरोना ने मार्च, 2020 के बाद जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर पूरे विश्व को एक संकट में डाला है उससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। लगभग हर एक देश की सरकार ने इससे उबरने हेतु कई प्रकार के प्रोत्साहन उपाय किए हैं। लेकिन यह पूरे विश्व के लिए एक राहत की बात है कि जून 2021 के आंकड़ों से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि वैश्विक आर्थिक प्रगति अब अपनी पटरी पर लौट रही है और निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। कोविड–19 से संक्रमितों के आंकड़ों में आई गिरावट और गति पकड़ती टीकाकरण अभियान के कारण जहां एक ओर अमेरिका तेजी से उबर पाया है वहीं दूसरी तरफ यूरो क्षेत्र में नए सिरे से आर्थिक प्रगति की संभावनाएं दिखने लगी है। वैश्विक वाणिज्यिक उड़ान हो या फिर बंदरगाहों से होने वाला व्यापार, इनमें फिर से बढ़ोत्तरी दिखने लगी है जोकि भारतीय निर्यात संभावनाओं के लिए भी एक सकारात्मक खबर है। इन सबके बावजूद, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार, मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने, सभी तक टीकाकरण की पहुंच एक समान नहीं होने और बढ़ते कर्ज के कारण अभी भी वैश्विक आर्थिक प्रगति पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

2021 एवं 2022 हेतु वृद्धि पूर्वानुमान

	2020	2021	2022
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	-4.7	5.1	3.6
उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	-2.2	6.7	5.0
विश्व	-3.3	6.0	4.4

स्रोतः वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2021, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

1.2 भारत में जिस तेजी के साथ कोविड–19 की दूसरी लहर ने पैर पसारा उसने सभी को सकते में डाल दिया और देश का आर्थिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। वर्ष 2020–21 की अंतिम छमाही में देश ने जो प्रगति हासिल की थी और महामारी के झटके से उबरने की कोशिश में लगा था उसे दूसरी लहर ने एक बार फिर से एक जोरदार झटका दिया। हालांकि मई 2021 के मध्य से यह फिर से पटरी पर लौटने लगी है। अगर हम दूसरी लहर की बात करें तो यह पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हुआ फिर चाहे बात संक्रमण के फैलने की हो या फिर उनसे हुई मौतों की। हालांकि कारोबारी रूकावट की बात की जाए तो इस बार वह उतनी प्रभावित नहीं हुई क्योंकि इस बार पूरे देश में लॉकडाउन की जगह क्षेत्र विशेष पर आधारित लॉकडाउन को तरजीह दी गई अर्थात जिन क्षेत्रों या राज्यों में अधिक मामले दर्ज किए गए उन्होंने ही अपने स्तर पर लॉकडाउन किया।

1.3 मई के तीसरे सप्ताह से कोविड–19 के दैनिक मामलों और उनसे होने वाली मौतों में कमी देखी गई और यहीं से कई ऐसे आर्थिक संकेत मिलने लगे जो दर्शाते हैं कि देश आर्थिक तौर पर इस संकट से उभरने लगा है। भारत में आर्थिक विकास की गाड़ी फिर से दौड़ने लगी है और अगर हम ई–वे बिल की कुल संख्या की बात करें तो वार्षिक आधार पर यह मई 2021 के 26 प्रतिशत से बढ़कर जून 2021 में 37.1 प्रतिशत हो गई है। यह बाद के महीनों में जीएसटी संग्रह के लिए एक अच्छा संकेत है। यह गूगल गतिशीलता संकेतकों में भी दिखा है जिसमें किराने के सामान से संबंधित गतिविधियां अपने कोविड–19 के पूर्व के स्तरों में वापस आ रही है और खुदरा और मनोरंजन संबंधित गतिविधि में भी लगातार सुधार होता दिख रहा है। बिजली खपत की बात की जाए तो इसमें मई की तुलना में जून 2021 में 4.5 प्रतिशत और वार्षिक आधार पर 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मालगाड़ी से होने वाली ढुलाई ने अपनी रफ्तार बनाई हुई है और यह जून 2019 की तुलना में जून 2021 में 11 प्रतिशत और जून 2020 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रही है।

1.4 कोविड की गंभीर दूसरी लहर और राज्यों के बीच आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति अप्रैल–मई 2020 में पहली लहर की अवधि की तुलना में अप्रैल–मई 2021 में काफी बेहतर रही है। अप्रैल–मई 2021 के दौरान केंद्र का राकोषीय घाटा 1.23 लाख करोड़

रहा जोकि बीई का 8.2 प्रतिशत है और बीई के 55.4 प्रतिशत की पंचवर्षीय चल औसत की तुलना में बहुत कम है। आर्थिक गतिविधियों के दोबारा शुरू होने और निम्न आधारभूत प्रभाव के कारण अप्रैल–मई 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के पहले दो महीनों के दौरान कर और गैर कर राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण तरीके से वृद्धि हुई है। अगर हम बात शुद्ध कर राजस्व की करें तो यह अप्रैल–मई 2020 के 33,850 करोड़ की तुलना में अप्रैल–मई 2021 में 2.34 लाख करोड़ रही है। यह तेज वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के तुलना में सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के संग्रहों में हुई वृद्धि के कारण हुई है।

2. भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपाय

2.1 राजकोषीय सुधार – दूसरी लहर का मुकाबला करने हेतु 6.29 लाख करोड़ का आर्थिक राहत पैकेज – 28 जून, 2021 को कोविड–19 महामारी की लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने हेतु उपायों की घोषणा की गई। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तैयार करने हेतु और विकास एवं रोजगार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 6,38,993 करोड़ रू. के कुल 17 उपायों की घोषणा की गई।

2.2 एमपीसी ने अप्रैल और मई 2021 माह में आयोजित अपनी द्विमासिक बैठकों में चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को बिना बदलाव के 4 प्रतिशत पर ही बनाए रखा। एमपीसी ने सतत आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने हेतु एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के प्रभाव को कम करने हेतु जब तक आवश्यक हो, तब तक यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति आगे भी लक्ष्य के भीतर बनी रहे, उदार रूख को जारी रखने का भी निर्णय लिया।

2.3 07 अप्रैल, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित विकासात्मक एवं विनियामक नीति उपायों की घोषणा की गई:

- टीएलटीआरओ ऑन टैप योजना – समय सीमा का विस्तार

ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियों की बहाली के लिए चलनिधि के उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से, जिनके साथ बैकवर्ड और फारवर्ड दोनों तरह के संपर्क जुड़े हुए हैं और जिनका संवृद्धि पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है, आरबीआई ने 9 अक्टूबर, 2020 को टीएलटीआरओ ऑन टैप योजना की घोषणा की थी, जो 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध थी। 21 अक्टूबर, 2020 को इस योजना के तहत घोषित पांच क्षेत्रों के अलावा, कामत समिति द्वारा चिन्हित किए गए 26 दबाव वाले क्षेत्रों को 4 दिसंबर, 2020 को और एनबीएफसी के लिए बैंक ऋण को 5 फरवरी, 2021 को टैप टीएलआरओ के तहत पात्र क्षेत्रों के दायरे में लाया गया था। योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गई चलनिधि को इस क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर में उपयोग किया जाना है; इसका उपयोग इन क्षेत्रों में बैंक ऋण और अग्रिमों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से ऊपर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सुविधा के तहत सभी जोखिमों को बड़े जोखिम फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना से छूट दी गई है। इसकी समीक्षा की गई और अब ऑन टैप योजना पर टीएलटीआरओ को छह महीने की अवधि तक अर्थात् 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

- **अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए चलनिधि सुविधा**

कोविड–19 महामारी के बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण के निरंतर प्रवाह का समर्थन करने के लिए अप्रैल–अगस्त 2020 के दौरान सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड); भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी); राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक); और एक्जिम बैंक को कुल 75,000 करोड़ रू. की विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई। ये सुविधाएं एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध थीं। नाबार्ड, सिडबी और रा.आ.बैंक अप्रैल–मई 2020 के दौरान उन्हें दी गई सुविधाओं को चुकाएंगे। अभी भी सुस्त पड़े विकास की गति के पोषण के नीतिगत उद्देश्य के अनुरूप, वर्ष 2021–22 में नये उधार के तहत एआईएफआई को 50,000 करोड़ रू. की नई मदद का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, नाबार्ड को कृषि और संबंधित गतिविधियों, ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों–माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफ़आई) को सहायता प्रदान करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 25,000 करोड़ रू. की एक विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) प्रदान की जाएगी। आवास क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए रा.आ.बैंक को एक वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रू. का एसएलएफ प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिडबी को इस सुविधा के तहत एक वर्ष तक की अवधि के लिए 15,000 करोड़ रू. मंजूर किए जाएंगे। ये तीनों सुविधाएं प्रचलित नीतिगत रेपो दर पर उपलब्ध होंगी।

- **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ – समिति का गठन**

2002 में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के पारित होने के बाद, इस क्षेत्र के विकास में गति लाने और एआरसी की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए 2003 में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए नियामक दिशानिर्देश जारी किए गए थे। तब से, यद्यपि एआरसी संख्या और आकार में बड़े हो गए हैं, फिर भी दबावग्रस्त आस्तियों को हल करने की उनकी क्षमता अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं की गई है। इसलिए, वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है जो वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने में उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी। समिति के गठन और उसके संदर्भ की शर्तों का विवरण अलग से घोषित किया जाएगा।

- **एनबीएफसी के माध्यम से बैंकों को ऋण देने की अनुमति देना**

निर्यात और रोजगार के मामले में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों के निचले स्तर पर ऋण प्रदान करने में एनबीएफसी द्वारा निभाई गई भूमिका को मान्यता देना और एनबीएफसी की चलनिधि की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2019 में निर्णय लिया गया था कि बैंकों को 31 मार्च 2020 तक कृषि/एमएसएमई/आवास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बैंक के कुल पीएसएल के 5 प्रतिशत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के रूप में पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को उधार देने की अनुमति दी जाए। इस छूट को बाद में 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया था। दिसंबर 2020 तक निर्दिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा एनबीएफसी को लगभग 37,000 करोड़ रू. की राशि उधार दी गई है। तेजी से आर्थिक सुधार में सहायता करने के लिए इन क्षेत्रों में ऋण की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा एनबीएफसी को ऋण देने के लिए पीएसएल वर्गीकरण का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जो उपर्युक्त क्षेत्रों को छह महीने तक अर्थात् 30 सितंबर, 2021 तक ऋण देगा।

- **वित्तीय समावेशन सूचकांक**

वित्तीय समावेशन को दुनिया भर में समावेशी और दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख संबल के रूप में देखा गया है। यह सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामकों के लिए एक बल दिए जाने वाला क्षेत्र रहा है, जिसमें कई कदम उठाए गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक एक "वित्तीय समावेशन सूचकांक" (एफआई सूचकांक) का निर्माण करेगा और समय–समय पर प्रकाशित करेगा। एफआई सूचकांक कई मापदंडों पर आधारित होगा और यह देश में वित्तीय समावेशन के व्यापक और मजबूत होने को प्रतिबिंबित करेगा। प्रथमतः, एफआई सूचकांक पिछले मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए जुलाई में वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

2.4 इसके अतिरिक्त 05 मई, 2021 को भा.रि.बैंक ने निम्नलिखित उपायों की घोषणा की:

- आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने हेतु 50,000 करोड़ रू. की सावधि चलनिधि सुविधा
- लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) हेतु विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ)
- एमएफ़आई को आगे उधार देने के लिए लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) द्वारा दिये जाने वाले उधार को प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाना
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, फरवरी 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को दिये ऋण को नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की गणना करते समय अपने निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटा सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली में बैंक रहित एमएसएमई को शामिल करने को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, यह छूट वर्तमान में 25 लाख रू. तक के एक्सपोजर के लिए उपलब्ध है और 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक दिये गए उधार के लिए 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जा रही है।
- व्यक्ति, लघु व्यवसाय और एमएसएमई के कोविड संबंधी दबावग्रस्त संपत्तियों के लिए समाधान ढांचा 2.0
- केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन को युक्तिसंगत बनाना – ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल को आगे बढ़ाते हुए, मौजूदा केवाईसी मानदंडों के कुछ घटकों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं (क)

स्वामित्व फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के लाभकारी मालिकों जैसे ग्राहकों की नई श्रेणियों और केवाईसी के आवधिक उन्नयन के लिए वी–सीआईपी (वीडियो–आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया) नामक वीडियो केवाईसी के दायरे का विस्तार; (ख) गैर–फेस–टू–फेस मोड में आधार ई–केवाईसी प्रमाणीकरण के आधार पर खोले गए सीमित केवाईसी खातों का पूरी तरह से केवाईसी–अनुरूप खातों में रूपांतरण; (ग) वी–सीआईपी के लिए केंद्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के केवाईसी पहचानकर्ता के उपयोग को सक्षम करना और पहचान प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज (डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किए गए पहचान पत्र सहित) प्रस्तुत करना; (घ) ग्राहकों के केवाईसी विवरणों के आवधिक अद्यतन के उद्देश्य से डिजिटल चैनलों के उपयोग सहित अधिक ग्राहक–अनुकूल विकल्पों की शुरूआत।

इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जा रहा है कि ग्राहक खातों के लिए जहां आवधिक केवाईसी अपडेट देय/लंबित है, ग्राहक खाता (ते) के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया जाए जब तक कि किसी अन्य कारण से या किसी नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/न्यायालय, आदि के निर्देशों के तहत आवश्यक न हो। खाताधारकों से अनुरोध है कि वे इस दौरान अपने केवाईसी को अपडेट करें।

- **अस्थिर प्रावधानों और प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर का उपयोग**

बैंकों पर महामारी संबंधी तनाव को कम करने और पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, बैंकों को उनके बोर्डों के पूर्व अनुमोदन के साथ गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने हेतु 31 दिसंबर 2020 तक उनके द्वारा धारित अस्थिर प्रावधानों और प्रतिचक्रीय प्रावधानिकरण बफर का 100 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। इस तरह के उपयोग को तत्काल प्रभाव से और 31 मार्च 2022 तक करने की अनुमति है।

2.5 04 जून, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित विकासात्मक एवं विनियामक नीति उपायों की घोषणा की गई:

- **संपर्क–गहन क्षेत्रों के लिए ऑन–टैप चलनिधि विंडो**

5 मई 2021 को, देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ 50,000 करोड रू. की ऑन–टैप चलनिधि विंडो प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। अब 31 मार्च 2022 तक रेपो दर पर तीन वर्ष तक की अवधि के साथ 15,000 करोड़ रू. की एक अलग चलनिधि विंडो, कुछ संपर्क–गहन क्षेत्रों अर्थात होटल और रेस्तरां; पर्यटन – ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और साहसिक कार्य/ विरासत सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं – ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक और ब्यूटी पार्लर/सैलून शामिल है, के लिए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों से योजना के तहत एक कोविड ऋण बही बनाने की उम्मीद की जाती है। प्रोत्साहन के माध्यम से, ऐसे बैंकों को अपनी अधिशेष चलनिधि को इस योजना के तहत बनाई गई ऋण पुस्तिका के आकार तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रतिवर्ती रेपो विंडो के तहत उस दर पर रखने की अनुमति दी जाएगी जो रेपो दर से 25 बीपीएस कम है या, एक अलग तरीके से कहा जाए तो, जो प्रतिवर्ती रेपो दर से 40 बीपीएस अधिक है। इस योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से निधि प्राप्त किए बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों को अपने स्वयं के संसाधनों से उधार देने के इच्छुक बैंक भी इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

- **सिडबी को विशेष चलनिधि सुविधा**

छोटे एमएसएमई और व्यवसायों जो ऋण की कमी और आकांक्षी जिलों में है, पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ एमएसएमई के लघु और मध्यम अवधि की ऋण जरूरतों के निवेश चक्र शुरू करने के लिए सिडबी को 16,000 करोड़ रू. की एक और विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा को डबल इंटरमीडिएशन, पूल्ड बॉन्ड/ऋण जारी करने इत्यादि सहित नए मॉडल और संरचनाओं के माध्यम से उधार / पुनर्वित्त के लिए बढ़ाया जाएगा। यह सुविधा प्रचलित नीतिगत रेपो दर पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक इसके उपयोग के आधार पर सुविधा के और विस्तार पर विचार कर सकता है।

- **समाधान ढांचा 2.0 के तहत एक्सपोजर सीमा का विस्तार**

5 मई 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित समाधान ढांचा 2.0 में एमएसएमई के साथ–साथ गैर–एमएसएमई छोटे व्यवसायों के कोविड–19 संबंधित तनाव और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ऋण के

समाधान पर विचार करने के लिए 25 करोड़ रू. का अधिकतम कुल एक्सपोजर निर्धारित किया गया। समीक्षा के आधार पर, उपरोक्त एक्सपोजर सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रू. करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उधारकर्ताओं की उपरोक्त श्रेणियां, जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाओं का 31 मार्च 2021 तक कुल 50 करोड़ रू. से अधिक का एक्सपोजर नहीं है, और जिन्हें पहले किसी भी निर्दिष्ट पुनर्गठन ढांचे के तहत पुनर्गठित नहीं किया गया है, समाधान ढांचा 2.0 के तहत समाधान के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे। अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

- **सप्ताह के सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) की उपलब्धता**

एनएसीएच, एनपीसीआई द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन के भुगतान के साथ–साथ बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, ऋण के लिए आवधिक किस्तों से संबंधित भुगतानों, म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम आदि के संग्रह जैसे एक–से–कई क्रेडिट अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। एनएसीएच बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के एक लोकप्रिय और प्रमुख डिजिटल माध्यम के रूप में उभरा है। इससे वर्तमान कोविड–19 के दौरान समय पर और पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी के अंतरण में मदद मिली है। एनएसीएच, वर्तमान में केवल उन दिनों में उपलब्ध है जब बैंक कार्य करते हैं। ग्राहक सुविधा के हित में, और वर्ष के सभी दिनों में आरटीजीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, 1 अगस्त 2021 से पूरे वर्ष के सभी दिनों में एनएसीएच उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

3. दृष्टिकोण:

3.1 2021 की पहली छमाही में दुनिया की आर्थिक प्रदर्शन में सुधार देखा गया लेकिन विभिन्न देशों में यह सुधार एक समान न होने के कारण यह आगे चलकर नकारात्मक जोखिम के रूप में उभरने की संभावना बनी हुई है। एक समर्थक वित्तीय माहौल और निरंतर नीतिगत समर्थन ने अर्थव्यवस्थाओं को उभरने में योगदान दिया है; हालांकि टीकाकारण की गति और जिस पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है और उसके कारण जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और संपर्क गहन गतिविधियों सहित कुछ ईएमई खुले हैं वे गेमचेंजर साबित हो रहे हैं। हालांकि कुछ ईएमई में, टीकों तक पहुंच में भारी कमी, टीकाकरण की धीमी गति, संक्रमण की संख्या में आए नए उछाल और संबंधित रोकथा उपायों के कारण अर्थव्यवस्थों के इस संकट से उबरने की गति को धीमा कर दिया और सबसे चिंता की बात यह है कि इस बार संक्रमण की संख्या में आई यह उछाल गरीब और सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक दिखाई दी। इन भारी असमानताओं के बीच, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुमान है कि वैश्विक जीडीपी विकास दर 0.5 प्रतिशत (तिमाही–दर–तिमाही, गैर–वार्षिक) के साथ वैश्विक आर्थिक गतिविधि की गति 2021 की पहली तिमाही में कम हो गई।

3.2 दुनिया भर में, केंद्रीय बैंकों, सरकारों और वित्तीय नियामकों ने कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया। भारत में, बैंक नीतिगत समर्थन से सुरक्षित थे और 2020–21 के दौरान अपनी पूंजी की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम थे। उदार मौद्रिक नीति रुख और आरबीआई के परंपरागत और अपरंपरागत उपायों के नीति मैट्रिक्स से वित्तीय बाजारों को सहायता मिल रही है। जी–सेक यील्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड जून में मोटे तौर पर स्थिर रहे और उच्च मुद्रास्फीति प्रिंट के कारण महीने के मध्य में हल्के सख्त रहे। जबकि इक्विटी बाजार जून में सीमित दायरे में रहे, म्यूचुअल फंड की शुद्ध परिसंपत्ति प्रबंधन (एयूएम) बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और वो मई 2021 के अंत तक 33.1 लाख करोड़ हो गई जिसकी तुलना की जाए तो अप्रैल 2021 की तुलना में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि और खुदरा क्षेत्र के साथ–साथ ईसीएलजीएस योजना के तहत संवितरण के कारण बैंक ऋण में वृद्धि जारी है। महामारी से संबंधित तनाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, यात्रा और पर्यटन और ग्रामीण गरीबों के बीच हाल ही में किए गए अतिरिक्त उपायों के कारण ऋण लेने में सुधार की उम्मीद है।

संदर्भ:

1. द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021–22, अप्रैल एवं जून, 2021
2. गवर्नर का वक्तव्य, अप्रैल एवं जून, 2021
3. मौद्रित नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2021
4. विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य अप्रैल एवं जून, 2021
5. मासिक आर्थिक समीक्षा, जून 2021, आर्थिक कार्य विभाग

काव्य सुधा

शहरी गाँव (बस्ती)

— रवि कुमार, सहायक प्रबंधक

रास कहाँ आये हैं गाँवों को शहर और शहरों को गाँव,
कभी कभार बस मिल ले और चला लेते हैं अपना काम,
पर एक रोज चूल्हा चाकी और अख़बार में लिपटे भगवान,
चले आये, शहर में गाँव बसाने का लिए अनोखा अरमान।

आसमान छूती तपती ईमारतों के बीच किसी कोने में,
कुएं का पानी जहाँ कैद हुआ प्लास्टिक के दोने में,
झूमते पेड़ तो नहीं पर पत्थरों की ही जहाँ मिली छांव,
बस गया वहीं एक उम्मीदों से भरा अनूठा शहरी गाँव।

तिरछी नज़रों से देखने आया भागता सा शहर
चिल्लाती आवाजों का बरसा अगली सुबह जब कहर
शोरगुल गाड़ियाँ करें, इंसानों पर तो चुप्पी फबती है
तौर तरीके ही नहीं न जाने कैसी ये आबादी बसती है,

खुलकर कैसे रो लेते है घन्टों ये बेपरवाह बच्चे
कैसे नंगे पावं कंचे खेल, खुश रह लेते हैं बच्चे
कैसे शाम की ख़ामोशी में रातें भी चुप हो जाती हैं,
कई थे सवाल शहर के, पर बातें नहीं हो पाती हैं

शहर तो शहर गुजरते बादल एक दिन गए ठहर,
इस गाँव में मिट्टी होने की लगी जो खबर
और बनके बारिश झाकने लगे इसके कच्चे घरों में,
कि कैसे रह लेते हैं गाँव इन भीड़ भरे शहरों में.

बरसते रहे बादल शहर झूमता रहा, गाँव डूबता रहा
शहरी जमीन बोझ सह लेगी पानी नहीं, कहता रहा
सोचता रहा बालकनी से शहर क्या डूब जायेगा ये गाँव,
सकपकाया नन्हा बच्चा धीमे से निकला तभी नंगे पांव

कूदने लगा छपाछप, गाँव वाली सी तलैया, चिल्लाने लगा,
सिकन भरा शहरी गाँव मिलकर बतियाने मुस्काने लगा,
यही मुस्काने लिए चल पड़ा शहरी गाँव राशन की तलाश में,
कुछ गाँव सा तो कुछ शहर सा बनने की अनोखी आस में।

सुंदर बारिश

— अंकिता शर्मा, सहायक प्रबंधक

वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है।

उमड़–घुमड़ कर काले बदरा छा रहे है।।

चपला भी चमक कर रोशनी बिखेर रहे है।

गुड़–गुड़ कर के बादल भी गरज रहे है।।

ठंडी–ठंडी हवा चल रही मन को भा रही है।

बागों में लताओं पर फूल खिल रहे है।।

मदमस्त मोर पीहू पीहू करके नाच रहा है।

मेंढक भी प्यारे संगीत गा रहे है।

बाज भी बादलों के ऊपर उड़ान भरकर इतरा रहा है।।

कल कल करती नदियां, इठलाती हुई बह रही है।

मानो कोई नया संगीत सुना रही है।।

बागों में फूल खिल रहे, सुगंध मन को भा रही है।

सावन में झूले पर झूल रही है बिटिया।।

वर्षा बहार भू पर जीवन की ज्योति जला रही है।

वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है।।

महिलाएं

— श्रीमती उमा सोमदेव
(पत्नी श्री जी.एन. सोमदेव, भूतपूर्व उप महाप्रबंधक)

कमाल है, प्रकृति की मालकिन महिलाएं
कोरोना काल में परिवार सेवा स्वयं से करवाएं।
उनके पास हर मुश्किल का उपाय है कारगर
क्योंकि वे है फैमिली हैपिनेस अफसर ।।
किचन की उपयोगिता से सबका परिचय कराती
घर निर्मित काढा पिलाकर सबको हंसाती।।
संयम की देवी घर के रोगी की नर्स
न कोई मेहनताना ना कोई इंकम सोर्स ।।
व्यवसाय को इंटरनेट मिडिया से बढ़ाती
बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराती।।
सकारात्मकता की प्रतीक मर्यादा की रानी
मजबूत इरादें सहजभाव की महारानी।।
सामंजस्य कला में माहिर मुश्किलों से ऊबार
ढाढस धीरज बधांए सेवाभाव जगाएं।।
सबको बाटती अपना प्यार
सुसंस्कृत रखती मन के तार।।

सात्विक भोजन सकारात्मक सोच
हर एक को निरोग रखें उनका हठयोग।।
बढती मांग जब बजट से हो बाहर ।।
शांतिदूत वो गंभीरता की प्रतीक
परिवार को कराती लंबा सफर मन के माफिक ।।
माँ, पत्नी, बहू, बेटी, बुआ, मौसी, काकी, मामी, साली
नहीं कोई पद फिर भी सब पद की मालिक ।।
फितरत कमाल – नफासत बेमिसाल
महिलाएं भाग्य लाती – करती सबको निहाल ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज

1. संकल्पों (Resolution)
2. सामान्य आदेश (General Orders)
3. नियम (Rules)
4. अधिसूचना (Notifications)
5. प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or Other Reports)
6. प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiques)
7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports for House or Houses of Parliament)
8. राजकीय कागज–पत्र (Official Papers)
9. संविदा (Contracts)
10. करार (Agreement)
11. अनुज्ञप्तियां (Licenses)
12. अनुज्ञापत्र (Permits)
13. निविदा सूचना (Tender Notice)
14. निविदा–प्रारूप (Tender-formats)

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

दवाई भी और कड़ाई भी

कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करें

मास्क ढंग से लगाएँ

हाथों को नियमित रूप से धोएँ / सैनेटाईज़ करें

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

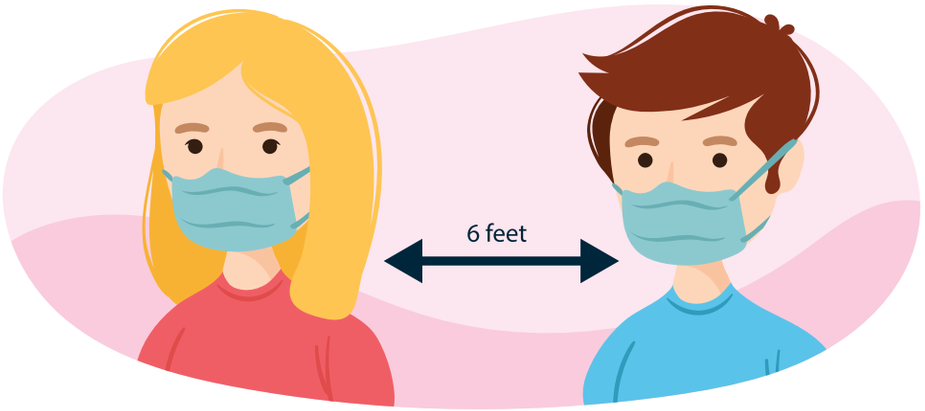

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जनहित में जारी

कोविड-19 से अतिरिक्त सुरक्षा हेतु
सभी पात्र नागरिक अपना टीकाकरण करवाएँ।

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के तहत सांविधिक निकाय)
कोर 5–ए, तृतीय–पांचवा तल, इंडिया हैबिटैट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

30 जून, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

विवरण	30/06/2021 को समाप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष	30/06/2020 को समाप्त पिछला वित्तीय वर्ष
	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क) + (ख) + (ग) + (घ)	**4,82,735.24**	**4,98,482.09**
(क) अग्रिमों पर ब्याज	4,58,633.62	4,64,562.47
(ख) निवेशों पर आय	14,343.04	17,420.42
(ग) बैंक जमाओं पर ब्याज	9,758.58	16,499.20
(घ) अन्य	-	-
2. अन्य आय	**5,084.40**	**4,043.95**
3. कुल आय (1+2)	**4,87,819.64**	**5,02,526.03**
4. व्यय ब्याज	**3,57,380.91**	**3,42,229.61**
5. परिचालन व्यय (i) + (ii)	**8,111.50**	**7,660.78**
(i) कर्मियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	3,750.15	2,923.69
(ii) अन्य परिचालन व्यय (क) + (ख) + (ग)	4,361.35	4,737.09
(क) ब्रोकरेज, गारंटी शुल्क एवं अन्य वित्त प्रभार	346.98	389.04
(ख) उधारों पर स्टांप शुल्क	54.17	365.03
(ग) अन्य व्यय	3,960.20	3,983.02
6. मुद्रा के उतार–चढ़ाव के कारण (लाभ)/हानि	**6,078.12**	**(819.51)**
7. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4+5+6)	**3,71,570.53**	**3,49,070.88**
8. प्रावधान एंव आकस्मिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3–7)	**1,16,249.12**	**1,53,455.15**
9. कर एवं आकस्मिक व्ययों के अलावा अन्य प्रावधान	70,252.38	1,08,287.81
10.असामान्य मदें	-	-
11. कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+) / हानि (–) (8–9–10)	**45,996.74**	**45,167.34**
12. कर व्यय	(20,315.75)	25,600.00
13. कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+) / हानि (–) (11–12)	**66,312.49**	**19,567.34**
14. असाधारण मदें (कर व्यय का निवल)	-	-
15. अवधि हेतु निवल लाभ (+) / हानि (–) (13–14)	**66,312.49**	**19,567.34**
16. चुकता पूंजी (भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में)	1,45,000.00	1,45,000.00
17. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार)	8,34,501.57	7,67,936.64
18. विश्लेषणात्मक अनुपातः		
(i) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात	12.14%	12.74%
(ii) प्रति शेयर आय (ईपीएस)	लागू नहीं	लागू नहीं
19. एनपीए अनुपात		
क) सकल एनपीए की राशि	2,50,284.59	2,50,284.59
ख) निवल एनपीए की राशि	-	62,466.22
ग) सकल एनपीए का प्रतिशत	2.91%	2.99%
घ) निवल एनपीए का प्रतिशत	0.00%	0.76%
ड़) आस्तियों पर लाभ (वार्षिक)	0.75%	0.25%

टिप्पणीः

1. उपरोक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षित एवं **12 अगस्त, 2021** को नई दिल्ली में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

2. 30 जून, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय परिणाम वर्ष के अंत में दिये गये कर्मी लाभ सहित भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर अनर्जक आस्तियों एवं मानक आस्तियों, आयकर, आस्थगित कर एवं अन्य सामान्य एवं अनिवार्य प्रावधानों के आकलन पश्चात् आए हैं।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, बैंक निरंतर प्रोफार्मा आईएनडी एएस विवरणी तैयार कर रहा है और नियमित रूप से विनियामक को प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह सलाह दी है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।

4. जहां आवश्यक था वहां पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

उपरोक्त परिणाम **30.06.2021** के तुलन पत्र तथा **12.08.2021** की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार **30.06.2021** को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा पर आधारित है।

ह./–
एस.के. होता
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 12 अगस्त, 2021

सम तिथि की हमारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

बंसल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 001113N/N500079

ह./–
(सीए सिद्धार्थ बंसल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 518004

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020

कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
टेली : 011–24649031–35, फैक्स : 011–24646988
वेबसाइट : **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी